

अनुक्रम	
भाग - ए सामान्य	
ए.1	परिचय
ए.2	माल / सॉफ्टवेयर / सेवाओं के निर्यात की राशि की वसूली और उसका प्रत्यावर्तन
ए.3	प्राप्ति और भुगतान का तरीका
ए.4	विदेशी मुद्रा खाता
ए.5	डायमंड डॉलर खाता [डी डी ए]
ए.6	विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता [ई ई एफ सी] खाता
ए.7	काउंटर - व्यापार करार
ए.8	सड़क रेल मार्ग अथवा नदियों के जरिये पड़ोसी देशों को निर्यात
ए.9	म्यांमार के साथ सीमा व्यापार
ए.10	रोमानिया के साथ काउंटर व्यापार व्यवस्था
ए.11	राज्य के ऋणों की वापसी
ए.12	फोरफेटिंग
ए.13	गैर स्रोत आधार पर निर्यात फैक्ट्रिंग
ए.14	परियोजना निर्यात और सेवा निर्यात
ए.15	पट्टे, किराये आदि पर वस्तुओं का निर्यात
ए.16	दीर्घावधि ऋण शर्तों पर निर्यात
ए.17	मुद्रा का निर्यात
भाग - बी ईडीएफ / सॉफ्टवेक्स क्रियाविधि	
बी.1	सीमा शुल्क पत्तनों के माध्यम से वस्तुओं का निर्यात
बी.2	ईडीआई पत्तनों [port] के माध्यम से वस्तुओं / सॉफ्टवेयर का निर्यात
बी.3	डाक के माध्यम से वस्तुओं का निर्यात
बी.4	गहरे समंदर में मछली पकड़नेवाले जहाजों द्वारा पकड़ी गयी मछली का मध्य समंदर में हस्तान्तरण
बी.5	सॉफ्टवेक्स फार्म
बी.6	विशिष्ट अभिनिर्धारण संख्याओं का उल्लेख
बी.7	सेवाओं का निर्यात
बी.8	तीसरी पार्टी की निर्यात से प्राप्त राशि
बी.9	आकस्मिक सत्यापन
बी.10	अल्प पोतलदान और शट आउट पोतलदान
बी.11	विमान कार्गो और समुद्री कार्गो का समेकन
बी.12	घोषणा पत्र से छूट

भाग -सी प्राधिकृत व्यापारियों के उत्तरदायित्व	
सी.1	ई डी एफ में माफी प्रदान करना
सी.2	निर्यात की जमानत पर अग्रिम प्राप्त करना
सी.3	विदेशों में व्यापार मेले / प्रदर्शनी के लिए ईडीएफ का अनुमोदन
सी.4	पुनर्आयात करने के लिए वस्तुओं के निर्यात के लिए ईडीएफ का अनुमोदन
सी.5	निर्यात घोषणा पत्र [ईडीएफ] औपचारिकता के बिना विशेष अधिसूचित अंचल से कच्चे हीरों का पुनर्निर्यात
सी.6	विदेशों में कार्यालय स्थापित करना और विदेशी कार्यालय के लिए अचल संपत्ति की खरीद

सी.7	निर्यातकों द्वारा पोतलदान संबंधी दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब
सी.8	निर्यातकों को दस्तावेज लौटाना
सी.9	लैंड लोक्ड देश
सी.10	निर्यातक द्वारा दस्तावेजों का प्रत्यक्ष प्रेषण
सी.11	शेष राशि में से कुछ राशि निकालना / आहरित न की गयी शेष राशियाँ
सी.12	कन्साईन्मेन्ट निर्यात
सी.13	विदेशों में गोदाम खोलना / किराए पर लेना
सी.14	निर्यात बिल रजिस्टर
सी.15	अतिदेय बिलों की वसूली के लिए अनुवर्ती कारवाई करना
सी.16	यूसान्स बिलों के समयपूर्व भुगतान के कारण इनवाईस मूल्य को घटाना
सी.17	अन्य मामलों में इनवाईस मूल्य को घटाना
सी.18	खरीदार / कंसाईनी का परिवर्तन
सी.19	विशेष आर्थिक क्षेत्रों [एसईजेड] द्वारा वस्तुओं का निर्यात
सी.20	समय सीमा में विस्तार
सी.21	यात्रा के दौरान खोये हुए पोतलदान
सी.22	निर्यात संबंधी दावे
सी.23	वसूल न किये गये निर्यात बिल बट्टे खाते डालना
सी.24	बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण [आईआरडीए] द्वारा विनियमित निर्यात ऋण गारंटी योजना [ईसीजीसी] और निजी बीमा कंपनियों द्वारा दावों के भुगतान के मामले बट्टे खाते डालना
सी.25	बट्टे खाते की रियायत
सी.26	आयात की देयताओं का निर्यात से प्राप्य आय से साथ प्रतितुलन करना [Set-off]
सी.27	आयात के लिए किये जानेवाले भुगतान से निर्यात से प्राप्त राशि का नेट ऑफ [Netting-off] [एस ई जेड में स्थित यूनिट]
सी.28	निर्यातकों की चेतावनी सूची
सी.29	प्राधिकृत व्यापारी द्वारा गारंटियां जारी करना
सी.30	इलेक्ट्रॉनिक बैंक उगाही (वसूली) प्रमाणपत्र (eBRC) जारी करना
भाग डी -निर्यात से संबंधित विप्रेषण	
डी.1	निर्यात पर एजेंसी कमीशन
डी.2	निर्यात से प्राप्त राशि की वापसी
परिशिष्ट	

भाग - ए सामान्य

ए-1 परिचय

- (i) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत विदेशी व्यापार महानिदेशालय [डीजीएफटी] और उसके क्षेत्रीय कार्यालय निर्यात व्यापार को विनियमित करते हैं। विदेशी व्यापार महानिदेशालय [डीजीएफटी] द्वारा समय-समय पर भारत से निर्यात करने के लिए अपनायी जानेवाली नीतियां और क्रियाविधियों की घोषणा की जाती है
- (ii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक प्रचलित विदेशी मुद्रा नीति और भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये नियम तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों के अनुसार निर्यात के लेनदेन कर सकते हैं । विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1999 [1999 का 42] की उप धारा [1] के खंड [ए] और धारा 7 की उप धारा [3] और धारा 47 की उप धारा [2] के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत से माल और सेवाओं के निर्यात से संबंधित विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम [माल और सेवाओं का निर्यात] विनियमावली जारी की है, जिसे इसके बाद 'निर्यात विनियमावली' कहा गया है। इन विनियमों को [दिनांक 12 जनवरी 2016 की अधिसूचना सं. फेमा 23\(आर\)/2015-आरबी](#) के जरिये अधिसूचित किया गया है ।
- (iii) इस दस्तावेज में निहित निदेशों को दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर 381 (ई) के जरिये भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नियमावली तथा साथ ही, [दिनांक 12 जनवरी 2016 की अधिसूचना संख्या फेमा 23\(आर\)/2015-आरबी](#) के जरिये अधिसूचित रिज़र्व बैंक द्वारा जारी नियमावली के साथ पढा जाए ।
- (iv) [दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 8/2000-आरबी](#) के जरिये अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंधन [गारंटिया] विनियमावली 2000 के विनियम 4, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, के अनुसरण में, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी - I बैंकों को निर्धारित शर्तों पर भारत से बाहर निर्यात करने के लिए निर्यातक ग्राहकों की ओर से गारंटिया जारी करने के लिए अनुमति प्रदान की गयी है ।
- (v) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 के अंतर्गत बनाये गये नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं और निदेशों के अनुसरण में, निर्यात ठेकों को भारतीय रुपयों में इनवाईस करने पर कोई पाबंदी नहीं है। साथ ही, विदेशी व्यापार नीति (2015-2020), के पैरा 2.52 के अनुसरण में "सभी निर्यात ठेके और इनवाईस या तो मुक्त रूप से परिवर्तित होनेवाली मुद्रा में अथवा भारतीय रुपयों में मूल्यवर्गिकृत हो जाएंगे। लेकिन निर्यात से प्राप्त राशि मुक्त रूप से परिवर्तित होनेवाली मुद्रा में वसूल की जाएगी । तथापि, विशिष्ट निर्यातों से प्राप्त राशि रुपयों में भी वसूल की जा सकती है बशर्ते वह एशियन समाशोधन युनियन [एसीयू] के सदस्य देशों तथा नेपाल और भूटान को छोड़ कर अन्य किसी भी देश में स्थित अनिवासी बैंक में धारित मुक्त रूप से परिवर्तित होनेवाले वोस्ट्रो खातों से वसूल की गयी हो। अभी तक भारतीय रुपया मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा नहीं बना है।
- (vi) जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया गया हो तब तक भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजा जाने वाला कोई भी पत्र आवेदक जहां रहता है अथवा कंपनी या फर्म जहां पर कार्यरत है उस कार्यक्षेत्र में आनेवाले विदेशी मुद्रा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय के पास भेजा जाना चाहिए । यदि किसी विशिष्ट कारण से वे विदेशी मुद्रा विभाग के अन्य कार्यालय से काम करवाना चाहते हैं तो वे अपने कार्यक्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उनसे संपर्क करें ।
- (vii) व्यापार से संबंधित सभी लेनदेनों के लिए "वित्तीय वर्ष [अप्रैल से मार्च]" को समय का आधार माना गया है ।

²एफईएम [वस्तु और सेवाओं का निर्यात]विनियमावली, 2000 को रद्द [repealed] करते हुए उसके स्थान पर दिनांक 12 जनवरी 2000 से एफईएम [वस्तु और सेवाओं का निर्यात] विनियमावली, 2015 लागू की गयी ।

³ एफईएम [वस्तु और सेवाओं का निर्यात]विनियमावली, 2000 को रद्द [repealed] करते हुए उसके स्थान पर दिनांक 12 जनवरी 2000 से एफईएम [वस्तु और सेवाओं का निर्यात]विनियमावली, 2015 लागू की गयी

ए.2 माल/ सॉफ्टवेयर / सेवाओं के निर्यात की राशि की वसूली और उसका प्रत्यावर्तन

निर्यातक के लिए यह बाध्य है कि वह माल / सॉफ्टवेयर / सेवाओं का पूरा मूल्य वसूल करे और उसे निर्यात की तारीख से निर्धारित अवधि के भीतर निम्नानुसार भारत में प्रत्यावर्तित कर दें :

(i) भारत सरकार से परामर्श करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि निर्यात से प्राप्त राशि की वसूली और उसके प्रत्यावर्तन की अवधि विशेष आर्थिक क्षेत्र [एसईजेड], स्टेट्स धारक निर्यातक, निर्यात उन्मुख यूनिट [ईओयू], इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क [ईएचटीपी] में स्थित यूनिट, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क [एसटीपी] और बायो-टेक्नोलॉजी पार्क [बीटीपी] सहित सभी निर्यातकों के लिए अगली सूचना मिलने तक निर्यात की तारीख से नौ माह की होगी ।

(ii) वैश्विक महामारी COVID-19 के प्रकोप के परिप्रेक्ष्य में भारत सरकार के साथ परामर्श कर के यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 31 जुलाई 2020 तक अथवा इस तिथि को निर्यात किए गए माल या सॉफ्टवेयर अथवा सेवाओं के पूर्ण निर्यात-मूल्य को दर्शाने वाली राशि की वसूली तथा भारत में उक्त राशि के प्रत्यावर्तन की मौजूदा अवधि को निर्यात की तारीख से नौ महीने से बढ़ाकर पंद्रह महीने किया जाए।

(iii) भारत से बाहर स्थापित गोदाम को निर्यात की गयी वस्तुओं की राशि वस्तुओं के पोतलदान [शिपमेंट] की तारीख से पंद्रह माह के भीतर वसूल करनी होगी ।

ए. 3 प्राप्ति और भुगतान का तरीका

(i) निर्यात की गयी वस्तुओं का पूरा निर्यात मूल्य दर्शानेवाली राशि प्राधिकृत व्यापारी बैंक के माध्यम से [दिनांक 2 मई 2016 की अधिसूचना संख्या फेमा 14 \[आर \] 2016 \[आरबी \]](#) के जरिये अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंधन [प्राप्ति और भुगतान का तरीका] विनियमावली, 2016 में निर्धारित तरीके से वसूल की जाएगी ।

(ii) जब उनके दौरे के दौरान विदेशी खरीदारों को बेची गयी वस्तुओं का भुगतान इस प्रकार से मिल जाएगा तब ए.डी. श्रेणी-I के बैंकों द्वारा उनके नोस्ट्रो खातों में राशियाँ प्राप्त होने पर ही अथवा यदि संबंधित ए.डी. श्रेणी-I बैंक क्रेडिट कार्ड की सेवाएं देनेवाला बैंक नहीं है तो ऐसे मामले में निर्यातक से भारत में क्रेडिट कार्ड की सेवाएं देनेवाले बैंक द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने के बाद कि उसने विदेशी मुद्रा में उसके समतुल्य राशि प्राप्त कर ली है, ईडीएफ [दूसरी प्रति] जारी की जानी चाहिए। ए. डी. श्रेणी-I बैंक आयातक के क्रेडिट कार्ड जहां कार्ड जारी करनेवाले बैंक/संगठन से विदेशी मुद्रा में प्रतिपूर्ति प्राप्त की जाएगी, को डेबिट करते हुए, भी- भारत के बाहर किये गये निर्यात का भुगतान प्राप्त कर सकते हैं ।

(iii) ऑनलाइन भुगतान गेट वे सेवा प्रदाता [ओपीजीएसपी] के माध्यम से निर्यात से संबंधित प्राप्तियों पर प्रोसेसिंग करना

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I के बैंकों को [ए.डी. श्रेणी-I] निम्नलिखित शर्तों के अधीन ऑनलाइन भुगतान गेट-वे सेवा प्रदाता [ओपीजीएसपी] के साथ स्थायी व्यवस्था करते हुए निर्यात से संबंधित विप्रेषण के प्रत्यावर्तन की सुविधा प्रदान करने की अनुमति दी जा चुकी है -

- ए) ए.डी. श्रेणी-I बैंक जो यह सुविधा प्रदान कर रहे हैं वे ओपीजीएसपी के संबंध में समुचित सावधानी प्रक्रिया का पालन करेंगे।
- बी) यह सुविधा केवल 10,000 अमरीकी डॉलर [दस हजार यूएस डॉलर] से अनधिक की वस्तु और सेवाओं के निर्यात के लिए ही उपलब्ध होगी
- सी) ए.डी. श्रेणी-I बैंक जो यह सुविधा प्रदान कर रहे हैं वे ऐसी व्यवस्था के जरिये निर्यात से संबंधित भुगतान प्राप्त करने के लिए नोस्ट्रो संग्रहण खाता खोलेंगे । जहां इस सुविधा का लाभ उठानेवाले निर्यातकों को ओपीजीएसपी के साथ नोशनल खाता खोलने की जरूरत होगी वहां यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे

⁴ दिनांक 1 अप्रैल 2020 के एपी (डीआईआर श्रृंखला) सं. 27 द्वारा शामिल किया गया।

खातों में कोई भी राशि रखने की अनुमति नहीं होगी और प्राप्त हुई सभी राशियां अपने आप ए.डी. श्रेणी-I बैंक द्वारा खोले गये नोस्त्रो संग्रहण खाते में इकट्ठा होती जाएंगी।

- डी) हर ओपीजीएसपी के लिए एक अलग नोस्त्रो खाता बनाये रखा जाए अथवा बैंक हर ओपीजीएसपी के नोस्त्रो खाते में किये गये लेन देन को अलग करने में सक्षम होना चाहिए।
- ई) इस व्यवस्था के अंतर्गत नोस्त्रो संग्रहण खातों में अनुमत डेबिट केवल निर्यात से प्राप्त राशि को निर्यातक के खाते में प्रत्यावर्तित करने के लिए, पूर्वनिर्धारित दरों/ बारंबारता/ व्यवस्था के अनुसार ओपीजीएसपी को शुल्क/ कमीशन का भुगतान करने के लिए और जहां बिक्री करार के अंतर्गत निर्यातक ने अपना उत्तरदायित्व निभाया नहीं होगा ऐसे मामले में आयातक को वह राशि लौटाने के लिए किया जाएगा।
- एफ) नोस्ट्रो संग्रहण खातों में रखी गयी शेष राशियाँ संबंधित निर्यातक के भारत में स्थित बैंक के खाते में आयातक से पुष्टि मिलने के तत्काल बाद लेकिन किसी भी स्थिति में नोस्त्रो संग्रहण खाते में वह राशि जमा किये जाने की तारीख से सात दिनों के भीतर प्रत्यावर्तित करते हुए जमा की जाएगी।
- जी) ए. डी. श्रेणी-I बैंक स्वयं को लेनदेन की वास्तविकता से संतुष्ट करेंगे और यह सुनिश्चित करें कि आन-लाइन भुगतान गेट वे के माध्यम से रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किए गए प्रयोजन कूट सही है।
- एच) ए.डी. श्रेणी-I बैंक इस व्यवस्था के अंतर्गत किये गये किसी भी लेनदेन से संबंधित सभी जानकारी जब कभी पूछी जाएगी तब रिज़र्व बैंक को प्रदान करेंगे।
- आई) हर नोस्त्रो संग्रहण खाते का समाधान और उसकी लेखा परीक्षा त्रैमासिक आधार पर की जाएगी।
- जे) भारत के निर्यातकों की भुगतान संबंधी सभी शिकायतों के निपटान की जिम्मेदारी संबंधित ओपीजीएसपी की होगी।
- के) जो ए.डी. श्रेणी-I बैंक ऐसी व्यवस्था का भाग बनना चाहते हैं उन्हें ऐसी व्यवस्था किये जाने के तत्काल बाद उसके समस्त ब्योरे विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय को रिपोर्ट करने चाहिए।
- एल) 5कोड भी स्टार्ट अप कंपनी अपनी विदेशी सहायक कंपनी की प्राप्य राशि वसूल कर सकती है और ऑनलाईन भुगतान गेट वे सेवा प्रदाता [ओपीजीएसपी] के माध्यम से उस राशि को प्रत्यावर्तित कर सकती है।

(iv) एशियन समाशोधन यूनियन (एसीयू) तंत्र के अंतर्गत निपटान प्रणाली

- 6ए) लेनदेन / निपटान को निभाने में सुविधा की दृष्टि से दिनांक 06 मार्च 2020 से एशियन समाशोधन यूनियन के सहभागियों को अपने लेनदेन या तो एसीयू डॉलर में अथवा एसीयू यूरो अथवा जापानी येन में करने का विकल्प उपलब्ध होगा। तदनुसार, एशियन मोनेटरी यूनिट (एएमयू) को 'एसीयू डॉलर', 'एसीयू यूरो', और 'एसीयू येन' के रूप में मूल्यवर्गित किया जाएगा जिसका मूल्य क्रमशः एक अमरीकी डॉलर, एक यूरो और एक जापानी येन के बराबर होगा।
- बी) साथ ही, ए.डी. श्रेणी-I बैंकों को अन्य सहभागी देशों के प्रतिनिधि बैंकों के साथ एसीयू डॉलर, एसीयू यूरो और एसीयू जापानी येन खाते खोलने तथा उन्हें बनाये रखने की अनुमति दी गयी है। संबंधित बैंक सभी पात्र भुगतानों को इन खातों के माध्यम से निपटाये।
- सी) एसीयू तंत्र में छूट- इंडो - म्यांमार व्यापार - म्यांमार से व्यापार संबंधी लेनदेन एसीयू तंत्र के अतिरिक्त मुक्त रूप से परिवर्तित हो सकने वाली किसी भी मुद्रा में निपटाये जा सकते हैं।
- डी) आयातकों को ईरान में भुगतान करने के लिए / निर्यातकों को ईरान से भुगतान प्राप्त करने में आ रही कठिनाईयों को देखते हुए यह निर्णय किया गया है कि दिनांक 27 दिसंबर 2010 से व्यापार लेनदेनों सहित सभी पात्र चालू खाते के लेन देन अगली सूचना मिलने तक एसीयू तंत्र से इतर अनुमत मुद्रा में पूरे किये जाएं।

⁵ दिनांक 11 फरवरी 2016 के एपी [डीआईआर शृंखला] परिपत्र सं.51 को दिनांक 11 फरवरी 2016 से जोड़ा [इन्सर्ट] किया गया।

⁶ दिनांक 17 मार्च 2020 के एपी (डीआईआर शृंखला) सं. 22 द्वारा शामिल किया गया।

ई) जून 2015 में संपन्न एसीयू बोर्ड की 44 वीं बैठक में एसीयू सदस्यों के बीच हुई सहमति को देखते हुए यह निर्णय किया गया है कि एसीयू देशों के बीच माल और सेवाओं के निर्यात और आयात, दोनों के ही निपटान के लिए एसीयू के सदस्य देशों के वाणिज्यिक बैंकों के नोस्त्रों खातों का अर्थात् एसीयू डॉलर, एसीयू यूरो और एसीयू जापानी येन खातों का उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाए।

एफ) उपर्युक्त के होते हुए यह सूचित किया जाता है कि 'एसीयू यूरो' में परिचालनों को 1 जुलाई 2016 से अस्थायी तौर पर स्थगित कर दिया गया है।

(v) निर्यात / आयात लेनदेनों के लिए तीसरी पार्टी भुगतान

उभरती हुई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय किया गया है कि निर्यात / आयात संबंधी लेन देनों के लिए तीसरी पार्टी भुगतान की निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमति दी जा सकती है :

ए) ठोस अपरिवर्तनीय आदेश जो त्रिपक्षीय सहमति से समर्थित हो, उपलब्ध होना चाहिए। तथापि, जहां तीसरी पार्टी को किये गये भुगतान की तरफ संकेत करनेवाला दस्तावेजी सबूत उपलब्ध हो / उस अपरिवर्तनीय आदेश में तीसरी पार्टी का नाम आ रहा हो/ इनवाइस प्रस्तुत किया गया हो, ऐसी स्थितियों में दस्तावेजी सबूतों का आग्रह नहीं किया जाना चाहिए, बशर्ते :

(i) प्राधिकृत व्यापारी बैंक उन लेनदेनों और निर्यात दस्तावेजों, जैसे इनवोईस / एफआईआरसी आदि की प्रामाणिकता से संतुष्ट होना चाहिए।

(ii) ऐसे लेनदेन करते समय प्राधिकृत व्यापारी बैंक को एफएटीएफ विवरण को भी ध्यान में लेना चाहिए।

बी) तीसरी पार्टी को भुगतान केवल बैंकिंग चैनल के माध्यम से ही किया जाना चाहिए;

सी) निर्यातक को तीसरी पार्टी को किये जा रहे विप्रेषण के बारे में निर्यात घोषणा फार्म में घोषणा करनी चाहिए और यह निर्यातक की जिम्मेदारी होगी कि ईडीएफ में उल्लिखित उस तीसरी पार्टी से प्राप्त निर्यात की राशि को वह वसूल करे और उसे प्रत्यावर्तित कर दे;

डी) यह निर्यातक की जिम्मेदारी होगी कि ईडीएफ में उल्लिखित उस तीसरी पार्टी से प्राप्त निर्यात की राशि को वसूल करे और उसे प्रत्यावर्तित कर दे;

ई) यदि एक्सओएस में कोई राशि बकाया हो उसे निर्यातक के नाम के आगे दर्शाते रहना चाहिए। तथापि, विदेशी खरीदार का नाम, जिससे वह राशि वसूल की जानी है, के बजाय घोषित तीसरी पार्टी का नाम उस एक्सओएस फार्म में दिखाया जाना चाहिए।

एफ) प्रतिबंधित कवर देशों [जैसे सूडान, सोमालिया आदि] के समूह-II के किसी देश को कोई शिपमेंट भेजा जा रहा है, तो वहां उसके लिए भुगतान किसी ओपन कवर देश से वसूल किया जाना चाहिए; और

जी) आयात के मामले में इनवाइस में कुछ निश्चित कथन होना चाहिए कि संबंधित भुगतान नामित तीसरी पार्टी को किया जाना है, प्रवेश के बिल में जहाज भेजनेवाले का नाम होना चाहिए तथा साथ ही, इस बात का भी उल्लेख होना चाहिए कि संबंधित भुगतान उस नामित तीसरी पार्टी को किया जाना चाहिए और आयातक को वस्तुओं का आयात करने के लिए दिये जा रहे अग्रिम भुगतान से संबंधित अनुदेशों सहित आयात से संबंधित मौजूदा अनुदेशों का पालन करना चाहिए।

(vi) 7जिन मुद्राओं का प्रत्यक्ष कोई विनिमय दर नहीं है उन मुद्राओं में निर्यात लेनदेनों का निपटान करना

जहां इन्वॉइसिंग मुक्त रूप से परिवर्तित होने वाली मुद्रा में किया जाता हो और निपटान लाभार्थी की मुद्रा में किया जाता हो, भले ही वह मुद्रा परिवर्तनीय हो परन्तु जिसका कोई प्रत्यक्ष विनिमय दर तय नहीं है, ऐसे मामले में निर्यात लेनदेनों को और उदार बनाने के लिए तथा उनके निपटान को और सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से यह निर्णय किया गया है कि ए.डी. श्रेणी-1 बैंकों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन ऐसे निर्यात लेनदेनों का निपटान करने की अनुमति प्रदान की जाए (उन लेनदेनों को छोड़कर जिन्हें एसीयू तंत्र के जरिये निपटाया जाता है) :

- ए) निर्यातक उस प्राधिकृत व्यापारी बैंक का ग्राहक होगा,
- बी) हस्ताक्षरित ठेका / इनवॉइस मुक्त रूप से परिवर्तित होनेवाली मुद्रा में होगा,
- सी) लाभार्थी इनवॉइस/ ठेके / साख पत्र की मूल मुद्रा (मुक्त रूप से परिवर्तित होनेवाली मुद्रा) के बदले पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में अपनी मुद्रा में भुगतान प्राप्त करने के लिए तैयार होगा,
- डी) प्राधिकृत व्यापारी बैंक उक्त लेनदेन की प्रामाणिकता से संतुष्ट होगा, और
- ई) प्राधिकृत व्यापारी बैंक के निर्यातक / आयातक का प्रति पक्ष [counterparty] उस देश या कार्यक्षेत्र से नहीं होगा जिसपर भारी जोखिम और असहकारी कार्यक्षेत्र को लेकर अद्यतन किया गया एफएटीएफ सार्वजनिक विवरण जारी किया गया हो, और जिसपर एफएटीएफ ने प्रति उपाय [counter measures] किये हैं ।

ए.4 विदेशी मुद्रा खाता

(i) अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों / व्यापार मेलों के सहभागियों को दिनांक 21 जनवरी 2016 के विदेशी मुद्रा प्रबंधन [भारत के निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता] विनियमावली के 8विनियम 5 [ई] [5] के अनुसरण में विदेशों में अस्थायी विदेशी मुद्रा खाता खोलने की सामान्य अनुमति प्रदान की गयी है। निर्यातक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों / व्यापार मेलों में वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त हुई विदेशी मुद्रा उस खाते में जमा करते हुए भारत से बाहर अपने रहने के दौरान उस खाते को परिचालित कर सकते हैं, बशर्ते वह प्रदर्शनी / व्यापार मेला समाप्त होने के एक महीने के भीतर उस खाते में शेष राशि सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से भारत में प्रत्यावर्तित की जाती है और उसके सारे ब्योरे उस श्रेणी-1 प्राधिकृत व्यापारी बैंक को प्रस्तुत किये जाते हैं।

(ii) रिज़र्व बैंक अच्छा ट्रैक रिकार्ड रखने वाले निर्यातकों से भारत में और भारत के बाहर प्राधिकृत बैंकों में विदेशी मुद्रा खाता खोलने के लिए फॉर्म ईएफसी में प्राप्त आवेदन पत्रों पर कुछ शर्तों पर विचार कर सकता है। भारत में श्रेणी-1 के किसी प्राधिकृत व्यापारी बैंक की किसी शाखा में खाता खोलने के लिए आवेदन पत्र, जहां पर खाता खोलना और बनाये रखना है उस शाखा के माध्यम से किया जाना चाहिए। यदि वह खाता विदेश में बनाये रखना है तो निर्यातक को जहां वह खाता खोलना चाहता है उस बैंक के सारे ब्योरे प्रस्तुत करते हुए आवेदन करना चाहिए।

(iii) कोई भारतीय संस्था भी दिनांक 21 जनवरी 2016 के विदेशी मुद्रा प्रबंधन [भारत के निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता] विनियमावली के 8विनियम 5 (बी) में निहित शर्तों क अधीन अपने विदेशी कार्यालय / शाखा के नाम में उस शाखा / कार्यालय का अथवा प्रतिनिधि का सामान्य कारोबार करने के प्रयोजन से विप्रेषण करते हुए भारत से बाहर विदेशी मुद्रा खाता खोल सकती है और उसे बनाये रख सकती है।

⁷ दिनांक 4 फरवरी 2016 के एपी | डीआईआर | परिपत्र सं. 42 द्वारा जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया |

⁸ दिनांक 21 जनवरी 2016 से एफईएम् [भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा में खाता] विनियामावली, 2015 द्वारा जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया | जोड़े जाने से पहले उसे इस प्रकार पढ़ा जाता था : “[दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 10 / 2000 आरबी](#) के जरिये अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंधन [भारत के निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता] विनियामावली, 2000 का विनियम 7[7]”

⁹ एफईएम् [भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा में खाता] विनियामावली, 2015 द्वारा दिनांक 21 जनवरी 2016 से जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया | जोड़े जाने से पहले उसे इस प्रकार पढ़ा जाता था: “[दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 10 / 2000 आरबी](#) के जरिये अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंधन [भारत के निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता] विनियामावली, 2000 का विनियम 7”

- (iv) विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित यूनिट दिनांक 21 जनवरी 2016 के विदेशी मुद्रा प्रबंधन [भारत के निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता] विनियमावली के ¹⁰विनियम 4 [डी] में निहित शर्तों के अधीन भारत में श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोल सकते हैं और उसे बनाये रख सकते हैं।
- (v) भारत का निवासी व्यक्ति परियोजना / सेवा निर्यातक के रूप में पीईएम ज्ञापन में निर्धारित मानक शर्तों के अधीन भारत से बाहर अथवा भारत में किसी बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोल सकता है और उसे बनाये रख सकता है।

ए. 5 डायमंड डॉलर खाता [डीडीए]

- (i) भारत सरकार की योजना के अधीन कच्चे अथवा कटे हुए और पॉलिश किये हुए हीरों और मूल्यवान धातु के सादे [प्लेन], मीनाकारी वाले गहने और / अथवा हीरे जड़ित या बिना हीरे जड़ित और / अथवा अन्य मूल्यवान पत्थर की खरीद / बिक्री में लगी हुई फर्म / कंपनियां जिनका हीरों / रंगीन पत्थरों / हीरों और रंगीन पत्थरों से जड़े गहने / सोने के सादे [प्लेन] गहने के आयात / निर्यात का कम से कम दो वर्षों का ट्रैक रिकार्ड है और जिनका वार्षिक टर्न ओवर पिछले तीन लाईसेंस वर्षों (लाइसेंस वर्ष अप्रैल से मार्च तक है) के दौरान तीन करोड़ रुपये और उससे ऊपर है ऐसी कंपनियों को डायमंड डॉलर खाते के माध्यम से अपने लेनदेन करने की अनुमति प्रदान की गयी है।
- (ii) उन्हें अपने बैंकों के साथ पांच से अनधिक डायमंड डॉलर खाते खोलने की अनुमति दी जाए।
- (iii) पात्र फर्म और कंपनियां अपने प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक से अनुमति प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकती हैं।

¹¹हटाया गया।

- (iv) पैरा ए (6) (iv) ए] और बी] में उल्लिखित शर्तें भी लागू होंगी।

ए. 6 विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता [ईईएफसी खाता]

- (i) भारत का निवासी व्यक्ति भारत में ए.डी. श्रेणी-I बैंक में विदेशी मुद्रा में खाता खोल सकता है जिसे दिनांक 21 जनवरी 2016 के विदेशी मुद्रा प्रबंधन [भारत के निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता] विनियमावली के ¹²विनियम 4 [डी] के अनुसार विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता [ईईएफसी खाता] कहा जाता है।
- (ii) निवासी व्यक्तियों को कंपनी अधिनियम 2013 में यथा परिभाषित निवासी नजदीकी रिश्तेदार / रिश्तेदारों को अपने ईईएफसी बैंक खातों में संयुक्त खाता धारक / खाताधारकों के रूप में पूर्व अथवा उत्तरजीवी [फोर्मर अथवा सरवाईवर] आधार पर शामिल करने की अनुमति दी गयी है।
- (iii) यह खाता ब्याज रहित चालू खाते के रूप में बनाये रखा जाएगा और इसमें ए.डी. श्रेणी-I के बैंकों द्वारा ईईएफसी खातों में धारित शेष राशियों की जमानत पर कोई भी निधि आधारित अथवा निधि रहित ऋण सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।
- (iv) विदेशी मुद्रा अर्जक की सभी श्रेणियों को अपनी विदेशी मुद्रा की आय का 100 फीसदी अपनी ईईएफसी खातों में जमा करने की अनुमति दी गयी है बशर्ते
- ए) किसी कैलेण्डर माह में उस खाते में कुल जमा की गयी राशि का अगले कैलेण्डर माह की आखरी तारीख से पहले अनुमोदित प्रयोजनों के लिए अथवा आगे के वायदे निभाने लिए समायोजन करने के बाद उस राशि को रूपयों में परिवर्तित किया जाएगा।

¹⁰ एफईएम [भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा में खाता] विनियमावली, 2015 द्वारा दिनांक 21 जनवरी 2016 से जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया | जोड़े जाने से पहले उसे इस प्रकार पढ़ा जाता था: "दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 10 / 2000 आरबी के जरिये अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंधन [भारत के निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता] विनियमावली, 2000 का विनियम 6[ए]"

¹¹ डीडीए खातों में स्थित राशियों के बारे में और डीडीए खातों खोलने / बंद किये जाने के बारे में पाक्षिक और त्रैमासिक विवरणियों के प्रस्तुतीकरण को दिनांक 23 मार्च 2016 के एपी | डीआईआर | परिपत्र सं.54 और एफईएम [भारत के निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा में खाता खोलना] विनियमावली, के जरिए अब दिनांक 21 जनवरी 2016 से बंद कर दिया गया है।

¹² एफईएम [भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा में खाता] विनियमावली, 2015 द्वारा दिनांक 21 जनवरी 2016 से जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया | जोड़े जाने से पहले उसे इस प्रकार पढ़ा जाता था: "दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 10 / 2000 आरबी के जरिये अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंधन [भारत के निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता] विनियमावली, 2000 का विनियम 4]"

बी) विदेशी मुद्रा अर्जकों को विदेशी मुद्रा के लेनदेन करते समय मुद्रा परिवर्तन / लेनदेन की लागत से बचाना ईईएफसी योजना का उद्देश्य है। उसका उद्देश्य यह नहीं है कि वे विदेशी मुद्रा में परिसंपत्तियां बनाये रखें। क्यों कि भारत अभी भी पूंजी खाते पर पूर्ण रूप से परिवर्तनीय देश नहीं है।

(v) पात्र ऋण में निम्नलिखित बातें शामिल हैं -

ए) रिज़र्व बैंक को दिये गये किसी वचन के कारण प्राप्त विप्रेषण से ईतर, अथवा जो विप्रेषण खाता धारक द्वारा जुटाए गए विदेशी मुद्रा ऋण अथवा भारत के बाहर से प्राप्त निवेश अथवा खाता धारक द्वारा कुछ विशिष्ट दायित्वों को निभाने के लिए विदेशी मुद्रा में लिये गये ऋण का प्रतिनिधित्व करता हो, को छोड़कर सामान्य बैंकिंग चैनल के माध्यम से प्राप्त इनवर्ड विप्रेषण।

बी) 100 फीसदी निर्यात उन्मुख यूनिट द्वारा अथवा निर्यात प्रक्रिया क्षेत्र, सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क अथवा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क में स्थित यूनिट द्वारा ऐसे ही किसी यूनिट को अथवा डोमेस्टिक टैरिफ क्षेत्र में स्थित यूनिट को सामान की आपूर्ति करने के लिए तथा साथ ही, डोमेस्टिक टैरिफ क्षेत्र में स्थित यूनिट द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र [एसईजेड] में स्थित किसी यूनिट को सामान की आपूर्ति करने के लिए विदेशी मुद्रा में प्राप्त भुगतान;

(vi) एडी श्रेणी-I बैंक अपने निर्यातक ग्राहकों को उनके ईईएफसी खातों में स्थित शेष राशियों में से उनके विदेशी आयातकों को बिना किसी उच्चतम सीमा के व्यापार से संबंधित ऋण / अग्रिम देने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं, बशर्ते समय-समय पर यथा संशोधित [दिनांक 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 3 / 2000 -आरबी](#) में उल्लिखित प्रावधानों का अनुपालन किया जाता है।

(vii) एडी श्रेणी-I बैंक निर्यातकों को रुपयों में अथवा विदेशी मुद्रा में लिये गये पैकिंग क्रेडिट अग्रिम को चुकाने के लिए उनके ईईएफसी खातों से स्थित राशि का अथवा उनके रुपया स्रोतों का उस मात्रा तक उपयोग करने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं जितनी मात्रा तक वास्तव में निर्यात किया गया है।

(viii) जहां निर्यात से प्राप्त राशि का एक हिस्सा ईईएफसी खाते में जमा किया गया हो, वहां निर्यात घोषणापत्र [दो प्रतियों में] के फार्म में यह प्रमाणित किया जाए कि "निर्यातक द्वारा के पास बनाये रखे गये ईईएफसी खाते में निर्यात से प्राप्त राशि का प्रतिशत हिस्सा जमा किया गया।"

ए.7 प्रति व्यापार व्यवस्था

भारतीय रिज़र्व बैंक प्रति व्यापार के प्रस्तावों पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन विचार करेगा, जिनमें भारतीय पार्टी और विदेशी पार्टी के बीच परस्पर सहमति से की गई व्यवस्था के अनुसार भारत में अमरीकी डॉलर में खोले गये एस्करो खाते के माध्यम से भारत में आयात की गयी वस्तुओं के मूल्य का भारत से निर्यात की गयी वस्तुओं के मूल्य से समायोजन करना शामिल है, -

- (i) इस व्यवस्था के अंतर्गत किये गये सभी आयात एवं निर्यात विदेशी व्यापार नीति और विदेशी मुद्रा अधिनियम, 1999 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों और विनियमों के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में किये जाएंगे।
- (ii) एस्करो खाते में स्थित शेष राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा लेकिन जो निधियां कुछ समय के लिए अधिशेष हैं उनको एक वर्ष के भीतर कुल तीन माह की अवधि के लिए [अर्थात 12 महीनों के एक ब्लाक में] अल्पावधि जमा के रूप में रखा जाएगा और बैंक उस पर यथालागू दर से ब्याज दे सकते हैं।
- (iii) एस्करो खाते में स्थित शेष राशि पर निधि आधारित / निधि रहित कोई भी सुविधा नहीं दी जाएगी।
- (iv) विदेशी निर्यातक / संगठन अपने एडी श्रेणी-I बैंक के माध्यम से रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को एस्करो खाता खोलने के लिए अनुमति माँगने हेतु आवेदन करें।

ए. 8 सड़क, रेल मार्ग अथवा नदी के जरिये पड़ोसी देशों को निर्यात

निर्यातक जहां सड़क, रेल मार्ग अथवा नदी के जरिये पड़ोसी देशों को निर्यात करना हो वहां ईडीएफ की मूल प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएं:

- (i) बार्ज /कंट्री क्राफ्ट अथवा सड़क से निर्यात करने के मामले में, निर्यातक अथवा उसका एजेंट जिस सीमा से उसका वेसल अथवा वाहन गुजरने वाला है उस सीमा पर स्थित सीमा शुल्क स्थानक [कस्टम्स] पर विदेशी धरती में प्रवेश से

पहले अपना फार्म प्रस्तुत करे। इस प्रयोजन के लिए, निर्यातक वह फार्म या तो वेसल अथवा वाहन के प्रभारी को देने की व्यवस्था करे अथवा सीमा पर कार्यरत उसके एजेंट को वह फार्म प्रेषित करे ताकि वह सीमा शुल्क कार्यालय [कस्टम्स] को प्रस्तुत किया जा सके।

(ii) रेल से निर्यात के मामले में सीमा शुल्क [कस्टम्स] के कर्मचारियों को सीमा शुल्क [कस्टम्स] की औपचारिकताओं को निभाने के लिए कुछ नामित रेल स्थानों पर तैनात किया गया है। वे इन स्थानों पर लादे गये सामान के लिए ईडीएफ प्राप्त करेंगे ताकि वह सामान सीमा पर और किसी औपचारिकता के बिना सीधे विदेश में पहुँच जाएगा। इन नामित रेल स्थानों की सूची रेलवे से प्राप्त की जा सकती है। नामित स्थानों से अन्य स्थानों पर लादे गये सामान के लिए निर्यातक को वह ईडीएफ फार्म सीमा पर स्थित सीमा शुल्क स्थानक [कस्टम्स] में प्रस्तुत करने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि जहाँ सीमा शुल्क की सारी औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं।

ए.9 म्यांमार से सीमा व्यापार

दिनांक 16 अक्टूबर 2000 के ए.पी. [डीआईआर] परिपत्र सं 17 में निहित अनुदेशों का अधिक्रमण करते हुए भारत-म्यांमार सीमा पर व्यापार की बार्टर प्रणाली पर रोक लगा दी गयी है और उसके स्थान पर दिनांक 1 अक्टूबर 2015 से सामान्य व्यापार चालू किया गया है। तदनुसार, भारत-म्यांमार सीमा पर होने वाले व्यापार सहित म्यांमार के साथ होने वाले सभी व्यापारी लेनदेन दिनांक 1 दिसंबर 2015 से एशियाई समाशोधन यूनियन तंत्र की मुद्रा सहित किसी भी अन्य अनुमत मुद्रा में निपटाये जाएंगे।

ए.10 रोमानिया के साथ प्रति व्यापार व्यवस्थाएं

भारतीय रिज़र्व बैंक भारतीय निर्यातकों से रोमानिया के साथ प्रति व्यापार करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करेगा, जिनमें संबंधित पार्टियों के बीच परस्पर सहमति से किये गये करार की शर्तों के अनुसार भारत से निर्यात की गयी वस्तुओं के मूल्य को भारत में आयात की गयी वस्तुओं के मूल्य से समायोजन करना शामिल है। लेकिन इसके लिए अन्य शर्तों के साथ एक शर्त यह भी है कि भारतीय निर्यातक एस्क्रे खोले खोलने के लिए अनुमति मिलने के बाद उस खाते में राशि जमा होने की तारीख से छः महीनों के भीतर उस राशि का रोमानिया से भारत में वस्तुओं के आयात के लिए उपयोग करेगा।

ए.11 राज्य ऋणों की चुकौती

पूर्ववर्ती यूएसएसआर द्वारा दिये गये राज्य ऋणों की चुकौती किये जाने की शर्त पर माल और सेवाओं का निर्यात करने के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी और समय-समय पर यथा संशोधित मौजूदा निदेश लागू होंगे।

ए.12 फोरफेटिंग

एक्विजम बैंक और एडी श्रेणी-I बैंकों को निर्यात से प्राप्त होने वाली राशियों के वित्तपोषण के लिए फोरफेटिंग करने की अनुमति दी गयी है। एक्विजम बैंक और संबंधित ए.डी. श्रेणी-I बैंकों द्वारा यथा अनुमोदित निर्यातक द्वारा देय वायदा शुल्क / सेवा प्रभार आदि का विप्रेषण किसी ए.डी. श्रेणी-I बैंक के माध्यम से ही किया जाए। ऐसे विप्रेषण संबंधित प्राधिकारियों द्वारा यथा अनुमोदित, अग्रिम में एक मुश्त अथवा मासिक अंतरालों में किये जा सकते हैं।

ए.13 नॉन रीकोर्स आधार पर निर्यात फैक्ट्रिंग

एडी बैंको को निम्नलिखित शर्तों के अधीन नॉन-रीकोर्स आधार पर निर्यात की फैक्ट्रिंग करने की अनुमति दी गयी है ताकि वे अपनी कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नकदी प्रवाह को बढ़ा सके:

- (i) एडी बैंक नॉन रीकोर्स आधार पर निर्यात की व्यवस्था करने के संबंध में अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके ग्राहक को अतिरिक्त वित्तपोषण नहीं किया जाता है। तदनुसार, वे फैक्ट्रिंग के लिए खरीदे गये इनवाईस के मूल्य को ध्यान में लेते हुए अपने ग्राहकों की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के बारे में निर्णय कर सकते हैं। खरीदे गये इनवाईस वास्तविक व्यापार से संबंधित इनवाईस होने चाहिए।
- (ii) यदि निर्यात फैक्टर द्वारा निर्यात वित्तपोषण नहीं किया गया हो तो वह निर्यात की राशि प्राप्त होने पर वित्तपोषक बैंक / संस्था को उसका निवल मूल्य अदा कर सकता है।

- (iii) एडी बैंक को, निर्यात फैक्टर होने के नाते आयात फैक्टर से ऋण मूल्यांकन और भुगतान के संग्रहण की व्यवस्था कर लेनी चाहिए।
- (iv) इनवॉइस पर यह टिप्पणी की जानी चाहिए कि आयातक को आयात फैक्टर का भुगतान करना होगा।
- (v) फैक्टरिंग के बाद निर्यात फैक्टर निर्यात बिलों को बंद कर सकता है और भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्यात आंकड़े प्रक्रिया और निगरानी प्रणाली [EDPMS] में सूचित कर सकता है।
- (vi) एकल फैक्टर के मामले में, जिसमें विदेश में स्थित आयात फैक्टर शामिल नहीं है, निर्यात फैक्टर विदेश के प्रतिनिधि बैंक से ऋण मूल्यांकन के ब्योरे प्राप्त कर सकता है।
- (vii) निर्यात फैक्टर निर्यातक की ओर से केवाईसी और अन्य यथोचित सावधानी को सुनिश्चित करेगा।

ए.14 परियोजना निर्यात और सेवा निर्यात

(i) आस्थगित भुगतान की शर्तों पर इन्जीनियरिंग की वस्तुओं का निर्यात और विदेशों में टर्न की परियोजनाओं और नागरी निर्माण ठेके के निष्पादन को एकत्रित रूप से 'परियोजना निर्यात' कहा जाता है। भारतीय निर्यातकों को यह ठेका मिलने के पश्चात [पोस्ट एवार्ड स्टेज] ऐसे ठेके पर काम शुरू करने से पहले एग्जिम बैंक और एडी श्रेणी-I बैंक का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। 'परियोजना निर्यात' और 'सेवा निर्यात' से संबंधित विनियमों को परियोजना निर्यात और सेवा निर्यात पर अनुदेशों के संशोधित ज्ञापन में निर्धारित किया गया है। [पीईएम-जुलाई 2014]

(ii) तदनुसार, एडी बैंक / एग्जिम बैंक बिना किसी मौद्रिक सीमा के कार्योंत्तर [post-award] अनुमोदन देने पर विचार करें और संबंधित फेमा दिशानिर्देशों / विनियमों के दायरे के भीतर उस कार्योंत्तर अनुमोदन की शर्तों में बाद में किये गये परिवर्तनों की अनुमति दें। परियोजना और सेवा निर्यातक अपने वाणिज्यिक निर्णय के आधार पर एडी बैंक / एग्जिम बैंक से सम्पर्क करें। संबंधित एडी बैंक / एग्जिम बैंक उनके द्वारा जिन परियोजनाओं को कार्योंत्तर अनुमोदन दिया गया है ऐसी परियोजनाओं पर निगरानी रखें।

(iii) परियोजना और सेवा निर्यातकों को अपने विदेशी लेनदेन करने में लचीलापन देने के लिए निम्नानुसार सुविधाएं प्रदान की गयी हैं:

ए) मशीनरी का अंतर-परियोजना स्थानान्तरण-अंतरिती परियोजना [transferee project] से मशीनरी आदि के बाजार मूल्य की वसूली के संबंध में लगाया गया निर्धारण [जो उसकी बही मूल्य से कम नहीं हों] अब हटाया गया है। साथ ही, निर्यातक उन्हें किसी भी देश में प्राप्त किसी अन्य ठेके को पूरा करने के लिए उस मशीनरी / सामग्री का उपयोग कर सकते हैं बशर्ते प्रायोजक एडी श्रेणी-I बैंक / एग्जिम बैंक उससे संतुष्ट हो तथा साथ ही, इस बारे में रिपोर्ट करने की अपेक्षाओं का पालन किया गया हो और उसपर संबंधित एडी श्रेणी-I बैंक / एग्जिम बैंक निगरानी रखें।

बी) निधियों का अंतर परियोजना अंतरण - एडी श्रेणी-I बैंक / एग्जिम बैंक निर्यातकों को अपने पसंद की विदेशी मुद्रा / मुद्राओं में एक या उससे अधिक खाते खोलने, बनाए रखने तथा परिचालित करने की अनुमति दे सकते हैं जिसमें किसी भी देश में और किसी भी मुद्रा में निधियों का अंतर-परियोजना अंतरण सुविधा होगी। ऐसे अंतर-परियोजना अंतरणों पर एडी श्रेणी-I बैंक / एग्जिम बैंक निगरानी रखेंगे।

सी) अस्थायी नकदी अधिशेष का नियोजन - एडी श्रेणी-I बैंक / एग्जिम बैंक द्वारा निगरानी की शर्त पर अस्थायी नकदी अधिशेष का नियोजन [Deployment], परियोजना / सेवा निर्यातक भारत से बाहर अर्जित अपनी अस्थायी अधिशेष निधियों का विदेश में खज़ाना बिलों और अन्य मौद्रिक लिखतों सहित, अल्पावधि पेपर्स [short-term paper] में एक वर्ष अथवा उससे कम अवधि की परिपक्वता अथवा शेष परिपक्वता के लिए निवेश कर सकते हैं। इनका स्तर कम-से-कम स्टैण्डर्ड और पूअर का A--1/AAA अथवा मूडी का पी-1/-AAA अथवा फिच आईबीसीए आदि के F1/AAA होना चाहिए। परियोजना / सेवा निर्यातक उक्त अधिशेष को भारत में स्थित एडी श्रेणी-I के बैंकों की बाहरी शाखाओं / उप कार्यालयों में जमाराशियों के रूप में भी रख सकते हैं।

डी) ऑन साईट सॉफ्टवेयर ठेकों के मामले में निधियों का प्रत्यावर्तन-सॉफ्टवेयर निर्यात कंपनी/फर्म द्वारा ऑन साईट सॉफ्टवेयर ठेकों के मामले में ठेके के मूल्य की 30 प्रतिशत की राशि का प्रत्यावर्तन करने की अपेक्षा को अब समाप्त कर दिया गया है। तथापि, वे अपने ऑन साईट ठेके समाप्त होने के बाद उसके लाभ को प्रत्यावर्तित कर दें।

ए.15 पट्टे, किराये आदि पर सामान का निर्यात

विदेशी पट्टेदार के साथ पट्टा किराया / किराये के प्रभार वसूल किये जाने तथा उसे फिर से आयात किये जाने की शर्त पर करार करते हुए पट्टे / किराये पर मशीनरी, उपकरण का निर्यात करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है। निर्यातकों को एडी श्रेणी-I बैंक के माध्यम से निर्यात किये जाने वाले माल के पूरे ब्योरे देते हुए रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के पास आवेदन करना चाहिए।

ए.16 दीर्घावधि ऋण शर्तों पर निर्यात

जो निर्यातक दीर्घावधि ऋण शर्तों पर सामान का निर्यात करना चाहते हैं वे पूरे ब्योरे देते हुए अपने बैंक के माध्यम से अपने प्रस्ताव रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के पास आवेदन करें।

ए.17 विदेशी मुद्रा का निर्यात

[दिनांक 29 दिसंबर 2015 की अधिसूचना सं. फेमा 6 \[आर\] 2015 आरबी](#) के जरिये अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम [मुद्रा का आयात और निर्यात] विनियमावली 2000 के अनुसरण में, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, भारतीय मुद्रा के किसी भी निर्यात के लिए रिज़र्व बैंक की अनुमति आवश्यक है। लेकिन उसमें विनियमावली के अंतर्गत प्रदान की गयी किसी भी सामान्य अनुमति के अनुसार उस मात्रा तक अनुमत राशि शामिल नहीं होगी जो निम्नानुसार है:

- (i) भारत का निवासी कोई भी व्यक्ति भारत सरकार और रिज़र्व बैंक के 25,000 रुपयों से अनधिक मुद्रा नोट [पच्चीस हजार रुपये मात्र] भारत से बाहर [नेपाल और भूटान को छोड़ कर] ले जा सकता है; और
- (ii) भारत से बाहर का निवासी जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का नागरिक नहीं है तथा साथ ही, बांग्लादेश / पाकिस्तान से आने / जानेवाला यात्री नहीं है और भारत का दौरा कर रहा है, वह भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक के 25,000 रुपयों से अनधिक नोट [पच्चीस हजार रुपये मात्र] केवल किसी एयरपोर्ट से बाहर जाते हुए ही ले जा सकता है।

भाग -बी निर्यात घोषणा पत्र फार्म [ईडीएफ] / सॉफ्टवेक्स क्रियाविधि

बी 1 सीमा शुल्क पत्तनों [पोर्ट] के माध्यम से वस्तुओं का निर्यात

- (i) सीमा शुल्क घोषित मूल्य को प्रमाणित करेगा और निर्यातक द्वारा गैर इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटर चेंज [EDI] पोर्ट में प्रस्तुत किये गये निर्यात घोषणा पत्र फार्म [ईडीएफ] की दो प्रतिलिपियों पर क्रम संख्या देगा।
- (ii) सीमा शुल्क मूल निर्यात घोषणा पत्र फार्म [ईडीएफ] रिज़र्व बैंक को भेजने के लिए अपने पास रखेगा और उसकी प्रतिलिपि निर्यातक को लौटाएगा।
- (iii) वस्तुओं का पोतलदान करते समय निर्यातक उस ईडीएफ की दूसरी प्रति सीमा शुल्क को प्रस्तुत करेगा। वस्तुओं की जांच करने के बाद सीमा शुल्क उस फार्म में उस मालकी मात्रा को प्रमाणित करेगा और निर्यात बिलों का परक्रामण/संग्रहण करने हेतु एडी को प्रस्तुत करने के लिए निर्यातक को लौटा देगा।
- (iv) निर्यात की तारीख से 21 दिनों के भीतर निर्यातक उस दूसरी प्रति को संबंधित पोतलदान के दस्तावेजों और इनवाइस की अतिरिक्त प्रतिलिपि के साथ उस ईडीएफ में नामित एडी को प्रस्तुत करेगा।
- (v) सभी दस्तावेजों के परक्रामण / उन्हें संग्रहण के लिए भेजने के पश्चात बाद एडी निर्यात आंकड़े प्रक्रिया और निगरानी प्रणाली [ईडीपीएम्एस] के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक को भेजेगा और वे दस्तावेज अपने पास रख लेगा।
- (vi) आस्थगित ऋण व्यवस्था के अंतर्गत अथवा विदेशों में संयुक्त उपक्रमों को इक्विटी सहभागिता की शर्त पर या रुपया ऋण करार की शर्त पर किये गये निर्यात के मामले में रिज़र्व बैंक के अनुमोदन की संख्या और तारीख और / अथवा रिज़र्व बैंक के संबंधित परिपत्र की तारीख उस ईडीएफ फार्म पर सही जगह पर दर्ज की जाएगी।
- (vii) जहां ईडीएफ की दूसरी प्रति मिल नहीं रही हो अथवा खो गयी हो वहां एडी सीमा शुल्क द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित ईडीएफ की दूसरी प्रति स्वीकार करे।

बी. 2 ईडीआई पत्तनों के माध्यम से वस्तुओं / सॉफ्टवेयर का निर्यात

- (i) शिपिंग बिल संबंधित प्राधिकारी (सीमा शुल्क आयुक्त अथवा विशेष आर्थिक क्षेत्र को, यदि निर्यात उक्त के माध्यम से किया गया हो) को दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा।
- (ii) उस बिल का सत्यापन और अधिप्रमाणन किये जाने के बाद संबंधित प्राधिकारी लदान बिल की 'विदेशी मुद्रा (ईसी) प्रतिलिपि' अंकित की हुई प्रतिलिपि निर्यातक को सौंप देगा ताकि उक्त प्रतिलिपि निर्यात करने की तारीख से 21 दिनों के भीतर शिपिंग दस्तावेजों के संग्रहण / परक्रामण के लिए एडी को सौंपी जा सके। तथापि उन मामलों में जहां लदान बिल की ईसी प्रतिलिपि दिनांक 23 नवंबर 2016 के सीबीईसी परिपत्र सं. 55/2016-कस्टम्स के अनुसार मुद्रित नहीं की गई है तथा लदान बिल के आंकड़ों को ईडीपीएमएस के साथ एकीकृत किया गया हो, वहाँ लदान बिल की प्रतिलिपि एडी बैंक को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- (iii) शिपिंग बिल की प्रतिलिपि के निपटान का तरीका वही होगा जो ईडीएफ के निपटान का तरीका है। ईसी इनवाईस आदि की एक प्रतिलिपि के साथ उस फार्म की दूसरी प्रति एडी द्वारा अपने पास रखी जाएगी और उसे रिज़र्व बैंक के पास भेजने की आवश्यकता नहीं है। तथापि जहां लदान बिल की ईसी प्रतिलिपि दिनांक 23 नवंबर 2016 के सीबीईसी परिपत्र सं. 55/2016-कस्टम्स के अनुसार मुद्रित नहीं की गई है तथा लदान बिल के आंकड़ों को ईडीपीएमएस के साथ एकीकृत किया गया हो, वहाँ लदान बिल के निपटान की आवश्यकता ही नहीं होगी।

टिप्पणी :- जहां बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण [आईआरडीए] द्वारा विनियमित ईसीजीसी/ निजी बीमा कंपनियों प्रारंभ में निर्यातकों के दावों का निपटान करती हैं तथा बाद में खरीदार / खरीदारों के देश से निर्यात की राशि प्राप्त होती है वहाँ इस प्रकार से प्राप्त राशि में निर्यातकों का हिस्सा उन प्राधिकृत व्यापारियों के माध्यम से वितरित किया जाता है जिन्होंने ईसीजीसी / निजी बीमा कंपनियों द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने के बाद शिपिंग के दस्तावेजों पर कार्रवाई की थी। इस प्रमाण पत्र में घोषणा फार्मों की संख्या, निर्यातक का नाम प्राधिकृत व्यापारियों का नाम, परक्रामण की तारीख, बिल संख्या, इनवाईस का मूल्य और ईसीजीसी / निजी बीमा कंपनी द्वारा वास्तव में प्राप्त राशि दर्शायी जाएगी।

बी.3 डाक के माध्यम से वस्तुओं का निर्यात

डाक प्राधिकारी ईडीएफ की मूल प्रति पर प्राधिकृत व्यापारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने की स्थिति में ही केवल डाक के माध्यम से वस्तुओं के निर्यात की अनुमति देंगे। अतः निर्यातक को वह ईडीएफ जिसमें डाक से मालभेजना शामिल है पहले प्राधिकृत व्यापारी के पास प्रति हस्ताक्षर के लिए भेजना चाहिए। इसकी क्रियाविधि निम्नानुसार है :

- (i) प्राधिकृत व्यापारी इस बात को सुनिश्चित करने के बाद ईडीएफ पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा कि वह पार्सल आयात के देश में स्थित उनकी शाखा या उनके प्रतिनिधि बैंक को संबोधित किया गया है और निर्यातक को उसकी मूल प्रति लौटा देगा। निर्यातक वह ईडीएफ उस पार्सल के साथ उस डाक कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।
- (ii) ईडीएफ की दूसरी प्रतिलिपि प्राधिकृत व्यापारी अपने पास रखेगा। निर्यातक परक्रामण/ संग्रहण के लिए इनवाईस की अतिरिक्त प्रति के साथ संबंधित दस्तावेज एडी को 21 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगा।
- (iii) संबंधित बिल का भुगतान अथवा स्वीकार किये जाने के बाद, संबंधित विदेशी शाखा अथवा उसके प्रतिनिधि को वह पार्सल प्रेषिती को सुपुर्द करने के लिए कहा जाएगा।
- (iv) तथापि, प्राधिकृत व्यापारी सीधे ही प्रेषिती को संबोधित पार्सल के ईडीएफ पर प्रतिहस्ताक्षर कर सकता है, बशर्ते
 - (ए) निर्यातक के पक्ष में निर्यात के पूरे मूल्य के लिए अपरिवर्तनीय साख पत्र खोला गया है और संबंधित प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से उसकी सूचना दी गयी है; अथवा
 - (बी) निर्यातक को प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से पोतलदान का पूरा मूल्य पहले ही प्राप्त हो चुका है; अथवा
 - (सी) प्राधिकृत व्यापारी निर्यातक की साख और पुराने रिकार्ड के आधार पर और निर्यात की राशि वसूल करने के लिए की गयी व्यवस्था से संतुष्ट हो।

ऐसे मामलों में अग्रिम भुगतान / साख पत्र / निर्यातक के साख के संबंध में प्राधिकृत व्यापारी का प्रमाणपत्र आदि यथोचित रूप से अधिप्रमाणित करते हुए उस फार्म पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

- (v) ईडीएफ में प्रेषिती के नाम अथवा पते में कोई भी परिवर्तन होता है तो उसे प्राधिकृत व्यापारी द्वारा उसके स्टाम्प और हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किया जाना चाहिए।

बी. 4 गहरे समंदर में मछली पकड़नेवाले जहाज़ों द्वारा पकड़ी गयी मछली का मध्य समंदर में हस्तान्तरण

(i) चूंकि गहरे समंदर में मछली पकड़ने के लिए प्रादेशिक सीमाओं के निरंतर बाहर रहना पड़ता है, अतः पकड़ी गयी मछलियों को गहरे समंदर में ही हस्तांतरित करना पड़ता है। इसमें रिपोर्ट करने की विनियामक अपेक्षाओं की क्रियाविधिगत बाध्यताओं का सामना करना पड़ता है, जैसे [दिनांक 12 जनवरी 2016 की अधिसूचना सं. फेमा. 23 \[आर \] / 2015 आरबी](#) के अनुसरण में निर्यात का घोषणापत्र देना।

(ii) भारतीय स्वामित्ववाली वेसल्स द्वारा पकड़ी गयी मछली के बीच समंदर में हस्तान्तरण के संबंध में कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार ईडीएफ घोषणा पत्र की क्रियाविधि को भारत सरकार से परामर्श करते हुए नीचे दिये गये अनुसार तर्कसंगत बनाया गया है। निर्यातक को [दिनांक 12 जनवरी 2016 की अधिसूचना सं. फेमा. 23 \[आर \] / 2015 आरबी](#) के विनियम 3 के अनुरूप कार्रवाई करनी चाहिए।

ए) निर्यातक कस्टम प्रमाणपत्र के बदले वेसल के मास्टर द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित ईडीएफ प्रस्तुत करें जिसमें पकड़ी गयी मछली का प्रकार, मछली की मात्रा, उसका निर्यात मूल्य, पोतलदान की तारीख [मछली अंतरित करने की तारीख] आदि प्रस्तुत की गयी हो। साथ ही, वह अंतर्राष्ट्रीय कार्गो सर्वेक्षणकर्ता [सर्वेयर] के प्रमाण पत्र से समर्थित होना चाहिए।

बी) बिल ऑफ लैडिंग/ उस कैरियर वेसल द्वारा जारी की गयी ट्रांसशिपमेंट की रसीद में ईडीएफ की संख्या को शामिल किया जाना चाहिए।

सी) वसूली और प्रत्यावर्तन के लिए निर्धारित अवधि का हिसाब उस वेसल के मास्टर द्वारा यथा प्रमाणित पकड़ी गयी मछली को अंतरित करने की तारीख, अथवा इनवाईस की तारीख, जो भी पहले हो, ध्यान में रखते हुए लगाया जाना चाहिए।

डी) ईडीएफ की मूल और दूसरी प्रति दोनों में कृषि मंत्रालय द्वारा वेसल के परिचालन के लिए जारी किये गये अनुमति पत्र की संख्या और तारीख को दर्शाया जाना चाहिए।

ई) निर्यातक ईडीएफ दो प्रतियों में पूरा करेगा और दोनों ही प्रतियां वेसल के पंजीकृत पत्तन में अथवा कृषि मंत्रालय द्वारा यथा अनुमोदित अन्य किसी भी पत्तन में कस्टम्स को प्रस्तुत की जाएंगी। ईडीएफ की मूल प्रति कस्टम्स द्वारा उनके इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज में आंकड़ों को शामिल करने के लिए उनके पास रखी जाएगी।

एफ) कस्टम्स ईडीएफ की दोनों प्रतियों में अपनी क्रम संख्या देगा और उसकी दूसरी प्रति निर्यातक को लौटाएगा क्योंकि निर्यात का मूल्य को ऊपर उल्लेख किये गये अनुसार पहले ही प्रमाणित किया गया है।

जी) निर्यातक द्वारा एडी श्रेणी-I के बैंकों को ईडीएफ प्रस्तुत करने के लिए क्रियाविधि के संबंध में नियम, विनियमावली, और निदेशों, और इन बैंकों द्वारा इन फार्मों के निपटान का तरीका वही होगा जो अन्य निर्यातकों पर लागू है।

बी. 5 सॉफ्टवेक्स फार्म

(i) सभी सॉफ्टवेयर निर्यातक अब एक्सेल फार्मेट के एक विवरण के रूप में एक और साथ ही, एक मुश्त सॉफ्टवेक्स फार्म सक्षम प्राधिकारी के पास अधिप्रमाणन के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। चूंकि एसटीपीआई / एसईजेड से सॉफ्टवेक्स विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप में रिज़र्व बैंक को भेजे जा रहे हैं, अतः निर्यातकों को अब संशोधित क्रियाविधि के अनुसार सॉफ्टवेक्स विवरण दो प्रतियों में प्रस्तुत करने होंगे। एसटीपीआई / एसईजेड उसकी एक प्रति अपने पास रखेंगे और दूसरी प्रति यथोचित अधिप्रमाणन के साथ निर्यातक को सौंपेंगे। अब तक की तरह ही, निर्यातकों को एक्सेल फार्मेट में एकमुश्त विवरण में 25,000 अमरीकी डॉलर से कम के इनवाईस सहित सभी इनवाईस के बारे में पूरी जानकारी देनी होगी।

(ii) एकल तथा साथ ही, एक मुश्त सॉफ्टवेयर निर्यात की घोषणा करने के लिए एक सामान्य सॉफ्टवेक्स फार्म तैयार किया गया है।

(iii) भारतीय रिज़र्व बैंक ने ईडीएफ फार्म और सॉफ्टवेक्स फार्म संख्या प्राप्त करने की सुविधा अब ऑन लाइन उपलब्ध करायी है [ऑफ-साइट सॉफ्टवेयर निर्यात में उपयोग के लिए एकल एवं एकमुश्त]। अतः रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा एकल तथा साथ ही, एक मुश्त सॉफ्टवेक्स फार्म संख्या का मैनुअल आबंटन करने की सुविधा अब बंद कर दी गयी है।

(iv) सॉफ्टवेयर निर्यात की इन्वॉइसिंग

ए) ऐसे दीर्घ अवधि के करारों के लिए, जिनमें प्रसारणों की श्रृंखला शामिल हैं, निर्यातकों को अपने विदेशी ग्राहकों से उनके साथ किये गये करार के प्रावधानों के अनुसार आवधिक रूप से, अर्थात् कम-से-कम महीने में एक बार अथवा 'मील का पत्थर' छू लेने के बाद बिल लगाने चाहिए और अंतिम इनवाइस / बिल ठेका समाप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर लगाया जाना चाहिए। निर्यातकों के लिए यह ठीक रहेगा कि वे किसी माह में प्राप्त अग्रिम विप्रेषणों सहित किसी विशिष्ट विदेशी ग्राहक को लगाये गये बिल के सभी इनवाइस के लिए संयुक्त सॉफ्टवेक्स फार्म प्रस्तुत करें।

बी) केवल 'वन शॉट ऑपरेशन' वाले ठेकों में इनवाइस / बिल उसके प्रसारण के 15 दिनों के भीतर लगाया जाना चाहिए।

सी) निर्यातक कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर और ऑडियो / वीडियो टेलीविजन सॉफ्टवेयर के निर्यात के संबंध में एसटीपीआई / ईपीजेड / एफटीजेड / एसईजेड में भारत सरकार के संबंधित नामित अधिकारी को ऊपर बताये गये अनुसार सॉफ्टवेक्स फार्म में एक घोषणापत्र की चार प्रतिलिपियाँ / किसी माह में लगाये गये इनवाइस की अंतिम तारीख से तीस दिनों के भीतर मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत करें। नामित अधिकारी भी उनके पास रजिस्टर किये गये ईओयू के सॉफ्टवेक्स फार्म को प्रमाणित करें।

डी) उपर्युक्त [ए] से [सी] में यथा उल्लिखित विदेशी ग्राहक/ ग्राहकों को जारी किये गये इनवाइस सॉफ्टवेक्स फार्म में की गयी निर्यात के मूल्य की घोषणा का भारत सरकार के संबंधित नामित अधिकारी द्वारा मूल्यांकन किये जाने और यदि आवश्यक हो तो उस इनवाइस के मूल्य में यदि कोई परिवर्तन किए जाने के अधीन होगा।

बी. 6 विशिष्ट अभिनिर्धारण संख्याएं

रिज़र्व बैंक के साथ किये गये सभी आवेदनों / पत्राचार में ईडीएफ और सॉफ्टवेक्स फार्म पर उपलब्ध विशिष्ट अभिनिर्धारण संख्याओं का अनिवार्यतः उल्लेख किया जाना चाहिए।

बी.7 सेवाओं का निर्यात

यह स्पष्ट किया जाता है कि उन निर्यात सेवाओं के संबंध में, जिन पर इन विनियमों में निर्दिष्ट कोई भी फार्म लागू नहीं होता, निर्यातक बिना कोई घोषणा किये ऐसी सेवाओं का निर्यात कर सकता है। लेकिन वह अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों तथा उक्त अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाये गये अन्य नियमों एवं विनियमों के अनुसार ऐसे निर्यात से देय अथवा प्रोद्भूत होनेवाली विदेशी मुद्रा की राशि को वसूल करने और उसे भारत में प्रत्यावर्तित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

बी.8 तीसरी पार्टी के निर्यात से प्राप्त राशि

निर्यातक को किसी तीसरी पार्टी से किये गये वस्तुओं / सॉफ्टवेयर के निर्यात से प्राप्त राशि की यथोचित घोषणा पत्र फार्म में विधिवत रूप से घोषणा करनी चाहिए ।

बी .9 आकस्मिक सत्यापन

उपर्युक्त सभी क्रियाविधियों में एडी श्रेणी- I बैंक को अपने आंतरिक लेखा परीक्षकों / संगामी लेखा परीक्षकों द्वारा संबंधित डुप्लीकेट फार्मों की आकस्मिक जांच करते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि वसूली न होने अथवा अल्प वसूली की अनुमति दी गयी हो तो वह उन्हें प्रत्यायोजित शक्तियों के भीतर है अथवा जहां आवश्यक हो वहां उसके लिए रिज़र्व बैंक का विधिवत अनुमोदन प्राप्त है ।

बी.10 अल्प शिपमेंट और शट आउट शिपमेंट [पोतलदान]

- (i) जब कस्टम्स के पास पहले ही प्रस्तुत किये गये ईडीएफ फार्म द्वारा कवर किए गए शिपमेंट के भाग का अपूर्ण पोतलदान किया गया हो तब निर्यातक को उस अपूर्ण पोतलदान की कस्टम्स को निर्धारित फार्म में और निर्धारित तरीके से सूचना देनी चाहिए। यदि कस्टम्स से अपूर्ण पोतलदान की प्रमाणित नोटिस प्राप्त होने में विलंब होता है तो निर्यातक को चाहिए कि वह एडी बैंक को इस आशय का एक वचनपत्र प्रस्तुत करे कि उसने कस्टम्स के पास निर्धारित फार्म में और निर्धारित तरीके से अपूर्ण पोतलदान की सूचना दे दी है और कस्टम्स से वह नोटिस प्राप्त होने के तत्काल बाद उसे प्रस्तुत करेगा।
- (ii) जहां शिपमेंट पूरी तरह से बंद हो गया है और उसका दोबारा पोतलदान शिपमेंट की व्यवस्था करने में विलंब हुआ है, ऐसी स्थिति में निर्यातक कस्टम्स को निर्धारित फार्म में और निर्धारित तरीके से दो प्रतियों में उसकी सूचना देगा और उसके साथ अप्रयुक्त ईडीएफ की और पोतलदान बिल की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा। कस्टम्स इस बात का सत्यापन करेगा कि वह शिपमेंट वास्तव में बंद था और उस नोटिस की प्रतिलिपि को सही नोटिस के रूप में प्रमाणित करेगा और उसकी प्रतिलिपि ईडीएफ की अप्रयुक्त दूसरी प्रति के साथ रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करेगा। इस मामले में कस्टम्स से पहले प्राप्त हुई मूल ईडीएफ रद्द की जाएगी। यदि बाद में शिपमेंट किया जाता है तो ईडीएफ का नया सेट पूरा किया जाना चाहिए।

बी.11 एयर कार्गो / समंदर कार्गो समेकन

(i) एयर कार्गो का समेकन

ए) जहां एयर कार्गो को समेकन के अंतर्गत लादा जाता है, वहां उस एयरलाइन कंपनी का मास्टर एयर-वे बिल उस समेकन कार्गो एजेंट को जारी किया जाएगा। उसके बदले कार्गो एजेंट अपने स्वयं के हाउस एयर-वे बिल [HAWBs] वैयक्तिक शिपर्स [shippers] को जारी करेगा।

बी) एडी श्रेणी-I बैंक हाउस एयर-वे बिल [HAWBs] के परक्रामण पर तभी विचार करेगा जब संबंधित साख पत्र में एयरलाइन कंपनी द्वारा जारी किए गए एयर वे बिलों के बदले में इन दस्तावेजों के परक्रामण का विशेष रूप से प्रावधान किया गया हो।

(ii) समुद्री कार्गो का समेकन

ए) एडी श्रेणी-I बैंक साख पत्र द्वारा समर्थित निर्यात लेनदेनों के मामले में बिल ऑफ लैडिंग के बदले आईएटीए(IATA) द्वारा अनुमोदित एजेंटों द्वारा जारी की गयी फोरवर्ड कार्गो रसीदों को शिपिंग दस्तावेजों के निगोशिएशन/उनका संग्रहण करने के लिए स्वीकार कर सकता है बशर्ते उस संबंधित साख पत्र में बिल ऑफ लैडिंग के बदले जिस दस्तावेज का निगोशिएशन करना है उसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया हो, फिर भले ही, विदेशी खरीदार के साथ किये गये बिक्री करार में बिल ऑफ लैडिंग के बदले एफसीआर को शिपिंग दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने का प्रावधान नहीं हो।

बी) साथ ही, प्राधिकृत व्यापारी अपने विवेक के अनुसार प्रसिद्ध शिपिंग कंपनियों /आईएटीए द्वारा अनुमोदित एजेंटों द्वारा जारी की गयी एफसीआर [बिल ऑफ लैडिंग के बदले] शिपिंग दस्तावेजों की खरीद / भुनाई / संग्रहण के लिए ऐसे मामलों में भी स्वीकार कर सकते हैं जहाँ निर्यात लेनदेन साख पत्र से समर्थित नहीं हैं, बशर्ते विदेशी खरीदार के साथ उनके "संबंधित बिक्री करार" में बिल ऑफ लैडिंग के बदले शिपिंग दस्तावेजों को एफसीआर के रूप में स्वीकार करने का प्रावधान किया गया हो। तथापि, खरीद / भुनाई के लिए ऐसी एफसीआर को स्वीकार करना पूर्णतः उस संबंधित बैंक का निर्णय होगा जो, अन्य बातों के साथ, स्वयं उस लेन देन की प्रामाणिकता से और उस विदेशी खरीददार तथा भारतीय आपूर्तिकर्ता के पुराने रिकार्ड से संतुष्ट हो क्यों कि एफसीआर कोई निगोशिएबल दस्तावेज नहीं होते। ऐसे मामलों में निर्यातकों को विदेशी खरीदार के बारे में पूरी सावधानी बरतनी चाहिए।

बी. 12 घोषणा पत्र प्रस्तुत करने से छूट

माल और सॉफ्टवेयर के निर्यात के बारे में निर्धारित फार्म में घोषणा पत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा दिनांक 12 जनवरी 2016 की ¹³विदेशी मुद्रा प्रबंधन [माल और सेवाओं का निर्यात] विनियमावली के विनियम 4 में दर्शाये गये मामलों में लागू नहीं होगी। तथापि, निर्यातक फेमा विनियमावली के अनुसार निर्यात की राशि वसूल करने तथा उसे प्रत्यावर्तित करने के लिए बाध्य होगा।

भाग – सी प्राधिकृत व्यापारियों के दायित्व

सी. 1 ईडीएफ हटाना

¹⁴एडी श्रेणी-I बैंक निर्यातकों से ईडीएफ को हटाने के लिए प्राप्त अनुरोधों पर नीचे दिए गए अनुसार विचार कर सकते हैं:

स्टेटस धारक नीचे दी गई वार्षिक सीमा के अधीन निर्यात संवर्धन के लिए शून्य लागत पर मुक्त रूप से निर्यात योग्य मर्दों (रत्न और आभूषण, सोने की वस्तुएँ तथा मूल्यवान धातुओं को छोड़कर) का निर्यात करने के लिए पात्र हैं:

ए) सभी निर्यातकों (निम्नलिखित क्षेत्रों (1) रत्न एवं आभूषण क्षेत्र, (2) सोने की वस्तुएँ तथा मूल्यवान धातु क्षेत्र के निर्यातकों को छोड़कर) के लिए विगत तीन लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान औसत वार्षिक निर्यात प्राप्ति की 2% की वार्षिक सीमा।

बी) विगत तीन लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान एक करोड़ रुपए अथवा औसत वार्षिक निर्यात प्राप्ति के 2%, की वार्षिक सीमा, जो भी कम हो (निम्नलिखित क्षेत्रों के निर्यातकों के लिए –(1) रत्न एवं आभूषण क्षेत्र, (2) सोने की वस्तुएँ तथा मूल्यवान धातु क्षेत्र)

सी) अंतर्राष्ट्रीय एजन्सियों जैसे यूएन, डबल्यूएचओ-पीएचओ के स्वास्थ्य कार्यक्रमों तथा सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए फार्मास्युटिकल उत्पादों, टीके तथा जीवन रक्षक दवा की आपूर्ति के मामले में पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान औसत वार्षिक निर्यात प्राप्ति के 8 % तक की वार्षिक सीमा होगी।

इस प्रकार की गई निःशुल्क आपूर्तियां किसी प्रकार की शुल्क वापसी अथवा किसी भी निर्यात प्रोत्साहन योजना के अधीन कोई अन्य निर्यात प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं होंगी।

ऐसी वस्तुओं के निर्यात पर से, जिसमें कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा लेन-देन शामिल नहीं है, रिज़र्व बैंक से ईडी एफ क्रियाविधि को हटाये जाने की आवश्यकता है।

सी.2 निर्यात की जमानत पर अग्रिम की प्राप्ति

एडी श्रेणी-I बैंक निर्यातकों से ईडीएफ

(1) [दिनांक 12 जनवरी 2016 की अधिसूचना सं. फेमा 23 \[आर\]/2015](#) के विनियम-15 के अनुसरण में, जहां निर्यातक को भारत से बाहर के खरीददार से अग्रिम में भुगतान प्राप्त होता है [ब्याज सहित अथवा ब्याज रहित] वहां इस बात को सुनिश्चित करना निर्यातक की जिम्मेदारी होगी कि अग्रिम भुगतान होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर वस्तुओं का पोतलदान [शिपमेंट] हो जाता है; अग्रिम भुगतान पर यदि कोई ब्याज देय है तो उसकी दर लंदन अंतर बैंक प्रस्तावित दर [एलआई बीओआर] + 100 बेसिस पॉइंट से अधिक नहीं है; और वे दस्तावेज, जिनमें वह शिपमेंट शामिल है, उस एडी श्रेणी-I बैंक के माध्यम से भेजे जाते हैं जिसके माध्यम से वह अग्रिम भुगतान प्राप्त हुआ है।

¹³ एफईएम [वस्तु और सेवाओं का निर्यात]विनियमावली, 2000 को रद्द [repealed] करते हुए उसके स्थान पर दिनांक 12 जनवरी 2016 से एफईएम [वस्तु और सेवाओं का निर्यात]विनियमावली, 2015 लागू की गयी।

¹⁴ दिनांक 27 अगस्त 2018 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 28 /2015-2020 द्वारा निविष्ट। हटाने से पूर्व इसे " एडी श्रेणी-I बैंक निर्यातकों से ईडीएफ को हटाने के लिए प्राप्त अनुरोधों पर नीचे दिए गए अनुसार विचार कर सकते हैं: स्टेटस धारक, एक करोड़ रुपए अथवा पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान औसत वार्षिक निर्यात वसूली के 2 %, इनमें से जो भी कम हो, की वार्षिक सीमा के अधीन निर्यात संवर्धन के लिए शून्य लागत पर मुक्त रूप से निर्यात योग्य मर्दों (जिनमें रत्न एवं गहने, स्वर्ण तथा मूल्यवान धातुओं की वस्तुएँ शामिल नहीं हैं) का निर्यात करे के लिए पात्र हैं। औषधीय कंपनियों द्वारा औषध उत्पादों के निर्यात के लिए वार्षिक सीमा होगी पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान औसत वार्षिक निर्यात वसूली के 2 %। औषधीय उत्पादों, टीकों तथा जीवनरक्षक दवाइयों की यूएन, डबल्यूएचओ-पीएचओ जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजन्सियों तथा सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमों को आपूर्ति करने के मामलों में वार्षिक सीमा होगी पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्ष के दौरान औसत वार्षिक निर्यात वसूली के 8 %। इस प्रकार की मुफ्त आपूर्तियां किसी प्रकार की शुल्क वापसी अथवा किसी भी निर्यात संवर्धन योजना के अंतर्गत कोई अन्य निर्यात प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं होंगी। " पढा जाता था, जिसे [दिनांक 23 अगस्त 2017 की राजपत्र अधिसूचना](#) द्वारा जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया।

बशर्ते अग्रिम भुगतान प्राप्त होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से शिपमेंट करने में निर्यातक असफल होता है तो ऐसी स्थिति में उक्त एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना अग्रिम भुगतान के अप्रयुक्त हिस्से की वापसी अथवा ब्याज के भुगतान के लिए कोई विप्रेषण नहीं किया जाएगा।

15. ईडीपीएमएस निर्यात के लिए अग्रिम में प्राप्त विप्रेषणों के ब्योरे ईडीपीएमएस में पकड़ लेगा। इसके बाद एडी श्रेणी-I बैंकों को वस्तुओं/सॉफ्टवेयर के निर्यात के लिए प्राप्त अग्रिम तथा पुराने बकाया आंतरिक विप्रेषणों सहित सभी आंतरिक विप्रेषणों की ईडीपीएमएस में रिपोर्ट करनी होगी। साथ ही, जहां कहीं आंतरिक विप्रेषण के लिए एफआईआरसी जारी की जाती है, वहां एडी श्रेणी-I के बैंकों को इलेक्ट्रॉनिक एफआईआरसी की ईडीपीएमएस में रिपोर्ट करनी होगी।

निर्यात के लिए प्राप्त अग्रिमों के उपयोग में यदि विलंब होता है तो उसके संबंध में प्रस्तुत की जानेवाली त्रैमासिक विवरणी का प्रस्तुतीकरण अब बंद कर दिया गया है।

(2) एडी श्रेणी-I बैंक जिन निर्यातकों का न्यूनतम तीन वर्ष का पिछला रिकार्ड संतोषजनक है उन्हें अधिकतम 10 वर्षों की अवधि तक दीर्घावधि निर्यात अग्रिम प्राप्त करने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमति दे सकते हैं जिसे वस्तुओं के निर्यात के लिए दीर्घावधि आपूर्ति करने के ठेके का निष्पादन करने के लिए उपयोग में लाया जाना है :

- (i) निश्चित अपरिवर्तनीय आपूर्ति आदेश और करार किये हुए होने चाहिए। विदेशी पार्टी / खरीदार के साथ किये गये करार की जानी चाहिए और उसमें उत्पाद का स्वरूप, उसकी राशि, और उसकी सुपुर्दगी की समय सीमा का तथा यदि इन शर्तों का पालन नहीं किया जाता अथवा वह करार रद्द किया जाता है तो क्या दंड लगाया जाएगा इसका भी स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। उत्पाद की वर्तमान कीमत अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप होनी चाहिए।
 - (ii) कंपनी के पास अपनी क्षमता, प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ सुस्थापित स्थिति में होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उक्त निर्धारित अवधि के दौरान आपूर्ति आदेशों को वास्तव में निष्पादित किया जाता है।
 - (iii) यह सुविधा केवल उन्हीं संस्थाओं को दी जाएगी जो प्रवर्तन निदेशालय अथवा ऐसी किसी अन्य विनियामक एजेंसी की प्रतिकूल निगरानी में नहीं हैं अथवा जिनको चेतावनी सूची में नहीं डाला गया है।
 - (iv) ऐसे अग्रिमों को भविष्य में किये जानेवाले निर्यातों के साथ समायोजित किया जाना चाहिए।
 - (v) यदि कोई ब्याज देय हो तो उसकी दरें लिबोर +200 बेसिस पॉइंट से अधिक नहीं होनी चाहिए।
 - (vi) सभी दस्तावेज केवल एक ही प्राधिकृत व्यापारी बैंक के माध्यम से ही प्रस्तुत किये जाने चाहिए।
 - (vii) प्राधिकृत व्यापारी बैंक को एएमएल / केवाईसी संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।
 - (viii) ऐसे निर्यात अग्रिमों का उपयोग अनर्जक परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत रुपया ऋणों की चुकौती करने के लिए नहीं किया जा सकेगा।
 - (ix) निर्यात आदेशों के निष्पादन के लिए कार्यशील पूंजी के लिए दोबारा वित्तपोषण को टाला जाना चाहिए।
 - (x) 100 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उससे अधिक के ऐसे अग्रिमों की व्यापार प्रभाग, विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय मुंबई के पास तत्काल रिपोर्ट की जानी चाहिए।
 - (xi) यदि प्राधिकृत बैंक को निर्यात संबंधी कार्यनिष्पादन के लिए कोई बैंक गारंटी [बीजी] / स्टैंड बाई साख पत्र [एसबीएलसी] जारी करना पड़ता है तो, अन्य बातों के साथ-साथ उसका निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति पर आधारित विवेकपूर्ण अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए किसी अन्य ऋण प्रस्ताव की तरह ही कड़ाई से मूल्यांकन किया जाना चाहिए।
- ए) बीजी / एसबीएलसी एक समय में दो वर्षों से अनधिक की अवधि के लिए जारी की जानी चाहिए और किसी एक समय में उसको दो और वर्षों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है [रोलओवर] बशर्ते करार के अनुसार संबंधित निर्यात निष्पादन संतोषजनक हो।

बी) बीजी / एसबीएलसी में केवल वही अग्रिम शामिल हो जो घटी हुई शेष राशि आधार पर है।

सी) विदेशी खरीददार के पक्ष में भारत से जारी की गयी बीजी / एसबीएलसी को भारत में स्थित बैंक की विदेशी शाखा द्वारा डिस्काउंट नहीं किया जाना चाहिए।

टिप्पणी: एडी श्रेणी-I बैंक बैंकिंग विनियमन विभाग द्वारा जारी गारंटियां और सह स्वीकृति पर जारी मास्टर परिपत्र से मार्गदर्शन ले सकते हैं।

(xii) एडी श्रेणी-I बैंक ईईएफसी खातों में जमा किये गये अग्रिम भुगतान को वापस लौटाने के लिए निर्यातक के विभिन्न शाखाओं/बैंकों में स्थित ईईएफसी खातों में रखी गयी समग्र जमाराशि का उपयोग किये जाने के बाद बाजार से विदेशी मुद्रा की खरीद की अनुमति दे सकते हैं।

(3) एडी श्रेणी-I बैंक निर्यातक को ऐसे वस्तुओं के निर्यात के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन अग्रिम भुगतान प्राप्त करने की अनुमति दे सकते हैं जिसके उत्पादन में और उसके शिपमेंट में एक वर्ष से अधिक का समय लग सकता है और जहां निर्यात करार में अग्रिम भुगतान प्राप्त होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के बाद वस्तुओं के शिपमेंट का प्रावधान है:-

(i) एडी श्रेणी-I बैंक ने विदेशी खरीददार के लिए केवाईसी और अन्य विधिवत सावधानी ले ली है;

(ii) धन शोधन निवारण मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित किया गया है;

(iii) एडी श्रेणी-I बैंक यह सुनिश्चित करें कि निर्यातक को प्राप्त निर्यात अग्रिम केवल निर्यात के निष्पादन के प्रयोजन से ही किया जाता है और किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं, अर्थात् वह लेनदेन वास्तविक लेनदेन है;

(iv) यदि कोई प्रोग्रेस भुगतान हो तो वह सीधे विदेशी खरीदार से करार की शर्तों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए प्राप्त किया जाना चाहिए।

(v) अग्रिम भुगतान पर देय ब्याज दर, यदि कोई हो तो वह लंदन अंतर बैंक प्रस्तावित दर [लिबोर] +100 बेसिस पॉइंट से अधिक नहीं होनी चाहिए;

(vi) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त अग्रिम भुगतान के 10 प्रतिशत से अधिक की वापसी की घटना नहीं होनी चाहिए;

(vii) शिपमेंट को दर्शाने वाले दस्तावेज उसी प्राधिकृत व्यापारी बैंक के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने चाहिए; और

(viii) शिपमेंट पूरी करने में यदि निर्यातक पूर्णतः या अंशतः असफल हो जाता है तो रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना अग्रिम भुगतान के अप्रयुक्त भाग को वापस लौटाने के लिए अथवा ब्याज के भुगतान के लिए कोई विप्रेषण नहीं किया जाना चाहिए।

(4) (i) जैसा कि यह देखा गया है, ऐसे निर्यातों [वस्तुओं के निर्यात के मामले में शिपमेंट] का निष्पादन न होने के कारण निर्धारित अवधि के बाद निर्यात के लिए प्राप्त अग्रिमों की संख्या और उसकी राशि बकाया रहने की स्थिति में भारी वृद्धि हुई है। अतः एडी श्रेणी-I बैंकों को यह सूचित किया जाता है कि वे संबंधित निर्यातकों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्यात निष्पादन [वस्तुओं के निर्यात के मामले में शिपमेंट] निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जा सके।

(ii) साथ ही, यह भी दोहराया गया है कि एडी श्रेणी-I बैंक यथोचित सावधानी बरतें तथा केवाईसी और एएमएल दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें ताकि केवल प्रामाणिक निर्यात अग्रिम ही भारत में आ सके। संदिग्ध मामलों तथा साथ ही, निरंतर चूककर्ताओं के मामले प्रवर्तन निदेशालय के पास आगे की जांच के लिए सौंपे जाएं। ऐसे मामलों के व्योरे दर्शाते हुए एक त्रैमासिक विवरण रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को हर तिमाही समाप्त होने के बाद 21 दिनों के भीतर भेज दिये जाएं।

सी.3 ईडीएफ विदेशों में व्यापार मेलों / प्रदर्शनियों का अनुमोदन

विदेशों में व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भाग लेने वाली फर्म / कंपनियां और अन्य संगठन भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना भारत से बाहर प्रदर्शन के लिए वस्तुएं ले जा सकते हैं / निर्यात कर सकते हैं। प्रदर्शनियों में न बेची गयी वस्तुएं उसी देश में प्रदर्शनी /व्यापार मेलों के बाहर भी अथवा अन्य किसी देश में बेची जा सकती हैं। ऐसी बिक्री डिस्काउंट मूल्य पर करने की भी अनुमति है । यह भी अनुमति है कि बेची न गयी वस्तुएं प्रति निर्यातक, प्रति प्रदर्शनी / प्रति मेला 5000 अमेरिकी डॉलर तक उपहार के रूप में भी दी जा सकती हैं। एडी श्रेणी-I बैंक भारत से बाहर व्यापार मेलों /

प्रदर्शनियों में प्रदर्शन के लिए / प्रदर्शन के साथ-साथ बिक्री के लिए निर्यात की वस्तुओं के ईडीएफ का निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदन कर सकते हैं :

- (i) निर्यातक प्रदर्शनी में बेची न गयी वस्तुओं का भारत में दोबारा आयात करने पर संबंधित प्रवेश बिल [Bill of Entry] एक माह के भीतर प्रस्तुत करेगा।
- (ii) निर्यातक एडी श्रेणी-I बैंक को निर्यात की गयी सभी वस्तुओं के निपटान के तरीके तथा साथ ही, भारत में उस निर्यात से प्राप्त राशि के प्रत्यावर्तन की भी रिपोर्ट करेगा।
- (iii) एडी श्रेणी-I बैंक द्वारा यथा अनुमोदित ऐसे लेनदेनों की उनके आंतरिक निरीक्षकों / लेखा परीक्षकों द्वारा 100 फीसदी लेखा परीक्षा की जाएगी।

सी. 4 पुनर्आयात के लिए वस्तुओं का निर्यात करने हेतु ईडीएफ का अनुमोदन

- (i) एडी श्रेणी- I बैंक निर्यातकों को ऐसे मामलों में जहां मरम्मत / रख-रखाव/ जांच/ उनमें आंशिक संशोधन के बाद निर्यात की गयी वस्तुओं का पुनर्आयात करने हेतु ईडीएफ अनुमोदन देने के लिए इस शर्त के अधीन अनुमति दे सकते हैं कि वे भारत से निर्यात की गयी मर्दों के पुनः आयात के एक माह के भीतर संबंधित प्रवेश बिल [Bill of Entry] प्रस्तुत करेंगे।
- (ii) जहां जांच के लिए निर्यात की जा रही वस्तुएं जांच के दौरान नष्ट हो जाती हैं, ऐसे मामलों में एडी श्रेणी- I बैंक आयात के लिए प्रवेश के बिल के बदले जांच एजेंसी से इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्राप्त करें कि जांच के दौरान वस्तुएं नष्ट हो गयी हैं।

सी. 5 सीमा शुल्क के विशेष अधिसूचित क्षेत्र से निर्यात घोषणा पत्र फार्म [ईडीएफ] की औपचारिकता के बिना कच्चे और न बेचे गये हीरों का पुनर्निर्यात

- (i) विशेष अधिसूचित क्षेत्र [एसएनजेड] में लागत मुक्त आधार पर आयात किए गए कच्चे और न बेचे गये हीरों के पुनर्निर्यात को सुकर बनाने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि बेचे न गये कच्ची हीरों को जब विशेष अधिसूचित क्षेत्र [एसएनजेड] [कस्टम के क्षेत्र में आनेवाले क्षेत्र होने के कारण] से घरेलू टेरिफ क्षेत्र (डीटीए) में प्रवेश किये बिना निर्यात किया जाएगा तब उसके लिए ईडीएफ की औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होगी।
- (ii) विशेष अधिसूचित क्षेत्र [एसएनजेड] में कच्चे हीरों के विभिन्न समूहों वाले प्रेषण के साथ एक इनवाइस के जरिये उसके अनुमानित मूल्य की घोषणा तथा उस प्रेषण [consignment] के मुफ्त स्वरूप को दर्शाने वाली एक पैकिंग सूची होनी चाहिए । किसी भी स्थिति में ऐसे कच्चे हीरों की डीटीए में प्रविष्टि की अनुमति नहीं है ।

¹⁶(iii) सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए/ उपर्युक्त प्रयोजन के लिए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए केंद्र/ केन्द्रों पर अनुमत खेप (लॉट)/ खेपों(लॉटस) के लिए प्रवेश बिल क्रेता द्वारा फ़ाइल किया जाएगा। प्राधिकृत व्यापारी बैंक लेनदेनों की वास्तविकता से संतुष्ट होने पर ऐसे आयात के भुगतान की अनुमति दे सकते हैं। इसके अलावा प्राधिकृत व्यापारी बैंक ऐसे लेनदेनों का रिकॉर्ड भी रखेंगे।

सी. 6 विदेशों में कार्यालय स्थापन करना और विदेशी कार्यालयों के लिए अचल सम्पत्ति खरीदना

- (i) विदेशों में कार्यालय स्थापित करते समय एडी श्रेणी- I बैंक पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान औसत वार्षिक बिक्री / आय / टर्न ओवर के पंद्रह प्रतिशत अथवा निवल मालियत के पच्चीस प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, तक प्रारंभिक व्यय करने के लिए विप्रेषण की अनुमति दे सकते हैं।
- (ii) भारत से बाहर उस कार्यालय /शाखा / अथवा प्रतिनिधि कार्यालय के सामान्य कारोबार [व्यापारी / गैर व्यापारी] के परिचालनों के पुनरावर्ती खर्चों के लिए पिछले दो वित्तीय वर्षों के दौरान औसत वार्षिक बिक्री / आय / टर्नओवर के दस प्रतिशत राशि का निम्नलिखित शर्तों के अधीन विप्रेषण किया जा सकता है :

¹⁶ दिनांक 22 नवंबर 2019 के एपी | डीआईआर शृंखला | परिपत्र सं. 10 द्वारा जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया।

ए) भारतीय संस्था की विदेशी शाखा /कार्यालय स्थापित किया जा चुका हो अथवा उसका सामान्य कारोबार करने के लिए विदेश में प्रतिनिधि की नियुक्ति की गयी हो;

बी) विदेशी शाखा/ कार्यालय/प्रतिनिधि अधिनियम, नियमावली अथवा विनियमावली तथा उसके अंतर्गत बनाये गये विनियमों का उल्लंघन करते हुए कोई भी करार नहीं करेगा;

सी) विदेशी कार्यालय [व्यापारी / गैर व्यापारी] / शाखा / प्रतिनिधि भारत में अपने प्रधान कार्यालय के लिए आकस्मिक अथवा अन्य प्रकार की कोई वित्तीय देयताएं पैदा नहीं करेगा, तथा साथ ही भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के बिना अधिशेष राशि का विदेश में निवेश नहीं करेगा। यदि कोई राशि अधिशेष हो तो वह भारत में प्रत्यावर्तित की जानी चाहिए।

(iii) विदेश में खोले गये बैंक खातों के ब्यौरे एडी बैंक को तत्काल रिपोर्ट किए जाने चाहिए।

(iv) एडी श्रेणी- I बैंक भारत में रजिस्टर की गयी कंपनी, जिसके विदेशों में कार्यालय हैं, द्वारा प्रारंभिक और आवर्ती व्यय करने के लिए उपर्युक्त सीमाओं के भीतर अपने कारोबार के लिए, भारत से बाहर अचल संपत्ति खरीदने के लिए तथा अपने स्टाफ के लिए रिहायशी व्यवस्था करने के लिए विप्रेषण करने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं।

(v) सॉफ्टवेयर निर्यातक कंपनी / फर्म का विदेशी कार्यालय / शाखा हर 'ऑफ साईट' ठेके के मूल्य का 100 प्रतिशत भारत में प्रत्यावर्तित करेगी।

(vi) यदि कंपनियां 'ऑन साईट' ठेके लेती हैं तो उन्हें वह ठेका समाप्त होने के बाद अपने लाभ प्रत्यावर्तित करने चाहिए।

(vii) विदेशी कार्यालय द्वारा लिये गये 'ऑफ साईट' और 'ऑन साईट' ठेकों के अंतर्गत प्राप्त राशियाँ, किया गया व्यय और किये गये प्रत्यावर्तन दर्शानेवाला एक वार्षिक लेखा परीक्षित विवरण एडी श्रेणी- I बैंक को भेजा जाना चाहिए।

सी. 7 निर्यातकों द्वारा पोत लदान [शिपिंग] के दस्तावेज प्रस्तुत करने में विलंब

जहां निर्यातक निर्यात से संबंधित दस्तावेज निर्यात के 21 दिन की निर्धारित अवधि के बाद प्रस्तुत करते हैं, वहां एडी श्रेणी- I बैंक रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना उनपर कार्रवाई कर सकते हैं बशर्ते वे विलम्ब के लिए दिये गये कारणों से संतुष्ट हों।

सी. 8 निर्यातकों को दस्तावेज लौटाना

ईडीएफ और शिपिंग दस्तावेजों की दोहरी प्रतियाँ एडी श्रेणी- I बैंक को निगोसिएशन/ संग्रहण आदि के लिए प्रस्तुत किये जाने के बाद निर्यातकों को किसी चूक को ठीक करने तथा पुनर्प्रस्तुतीकरण को छोड़ कर अन्य किसी कारण से सामान्यतः लौटायी नहीं जानी चाहिए।

सी. 9 लैंड लॉक्ड देश [Landlocked countries]

एडी श्रेणी-I बैंक बिल ऑफ लैंडिंग की एक निगोशिएबल प्रतिलिपि कुछ लैंड लॉक्ड देशों को निर्यात करने के लिए सामान ले जा रहे वेसल के मास्टर को अथवा व्यापारी प्रतिनिधि को प्रस्तुत कर सकते हैं यदि वह शिपमेंट अपरिवर्तनीय साख पत्र से समर्थित हो और उसके सभी दस्तावेज उस साख पत्र में उल्लिखित शर्तों के बिलकुल अनुरूप हो जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी सुपुर्दगी का प्रावधान किया गया हो।

सी.10 निर्यातक द्वारा दस्तावेजों का सीधे प्रेषण

(i) एडी श्रेणी-I बैंक को सामान्यतः अपनी विदेशी शाखाओं / प्रतिनिधियों को शीघ्रता से शिपिंग दस्तावेज भेज देने चाहिए। तथापि, वे उन मामलों में ऐसे शिपिंग दस्तावेज निर्यात के सामान के अंतिम ठिकाने के निवासी अपने प्रेषितियों अथवा एजेंटों को भेज सकते हैं, जहां:

ए) निर्यात की शिपमेंट के पूरे मूल्य के लिए अग्रिम भुगतान अथवा अपरिवर्तनीय साख पत्र प्राप्त हो चुका है और उसके संबंध में किये गये बिक्री करार / साख पत्र में जहां सामान भेजा जाना है उस देश के निवासी प्रेषिती को या उसके एजेंट को प्रेषण संबंधी दस्तावेज सीधे ही भेजने का प्रावधान किया गया है।

बी) एडी श्रेणी-I बैंक निर्यातक के अनुरोध को स्वीकार कर सकते हैं बशर्ते वह निर्यातक उनका नियमित ग्राहक है और वह एडी श्रेणी-I बैंक उस निर्यातक की साख और पिछले रिकार्ड से संतुष्ट हो और निर्यात की राशि वसूल करने की व्यवस्था की गयी हो।

(ii) एडी श्रेणी-I बैंक स्टेटस धारक निर्यातकों को [विदेशी व्यापार नीति में यथा परिभाषित] और विशेष आर्थिक क्षेत्र के [एसईजेड] के यूनिटों को निर्यात दस्तावेज भारत से बाहर के प्रेषिती को निम्नलिखित शर्तों के अधीन भेजने की अनुमति दे सकते हैं:

ए) निर्यात से प्राप्त राशि ईडीएफ में नामित एडी बैंकों के माध्यम से प्रत्यावर्तित किये जाते हैं।

बी) निर्यातक निर्यात करने की तारीख से 21 दिनों के भीतर ईडीएफ की प्रतिलिपि निगरानी के प्रयोजन से एडी बैंकों को प्रस्तुत करता है।

17iii) एडी श्रेणी-I बैंक, निर्यात शिपमेंट के मूल्य पर ध्यान दिए बिना जहां पर सामान अंततः पहुँचना है उस देश के निवासी प्रेषिती को अथवा उसके एजेंट को निर्यातक द्वारा शिपिंग के दस्तावेज सीधे ही भेजने के मामलों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियमित करें:

ए) राइट ऑफ से संबंधित विद्यमान प्रावधानों के अनुसार राइट ऑफ की गई राशि, यदि कोई हो, को छोड़कर, निर्यात से प्राप्त होनेवाली राशि पूरी तरह से वसूल की जा चुकी है।

बी) निर्यातक कम से कम छः महीनों के लिए एडी श्रेणी-I बैंक का नियमित ग्राहक है।

सी) एडी श्रेणी-I बैंक के पास निर्यातक का खाता भा.रि.बैं के केवाईसी / एएमएल दिशानिर्देशों के पूर्णतः अनुरूप है।

डी) एडी श्रेणी-I बैंक उस लेन देन की प्रामाणिकता से संतुष्ट है।

यदि कोई आशंका हो तो एडी श्रेणी-I बैंक भारत में वित्तीय आसूचना यूनिट को [FIU_IND] उस संदिग्ध लेनदेन की रिपोर्ट [STR] कर सकता है।

सी.11 आंशिक आहरण / आहरित न की गयी शेष राशियाँ

(i) निर्यात व्यापार के कुछ व्यवसायों में यह परंपरा है कि इनवाइस के मूल्य का एक छोटा हिस्सा भुगतान के लिए आहरित नहीं किया जाता है। उसे सामान के पहुँच जाने के बाद उसकी जांच करने पर यदि उसके वजन, गुणवत्ता आदि में कोई अंतर आता है या सामान का विश्लेषण किया जाता है तो उसकी वजह से किये जानेवाले समायोजन के लिए छोड़ दिया जाता है। ऐसे मामलों में एडी श्रेणी-I बैंक बिलों को निगोशिएट कर सकते हैं, बशर्ते:

ए) आहरित न की गयी शेष राशि निर्यात व्यापार के किसी विशिष्ट प्रकार के व्यवसाय में सामान्य मानी जाती है और वह पूर्ण निर्यात मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत होगी।

ख) निर्यातक से ईडीएफ की प्रतिलिपि पर इस आशय का एक वचन पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए कि वह निर्यात की राशि वसूल करने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर शेष राशियाँ अभ्यर्पित करेगा / उसका हिसाब प्रस्तुत करेगा।

(ii) जहाँ निर्यातक सभी कोशिशें करने के बावजूद आहरित न की गयी शेष राशियों के प्रत्यावर्तन की व्यवस्था नहीं कर पाया है, ऐसे मामलों में एडी श्रेणी-I बैंक इस मामले की प्रामाणिकता से संतुष्ट होने के बाद यह सुनिश्चित करें कि निर्यातक ने कम-से-कम जिस मूल्य के लिए प्रारंभ में बिल आहरित किया गया था [अनाहरित शेष राशियों को छोड़कर] अथवा ईडीएफ फार्म पर घोषित मूल्य के 90 प्रतिशत मूल्य, इनमें से जो भी अधिक हो, वसूल कर लिया है और शिपमेंट की तारीख से एक वर्ष की अवधि समाप्त हो चुकी है।

सी. 12. कन्साईनमेंट निर्यात

(i) जब सामान कन्साईनमेंट आधार पर निर्यात किया गया हो तब एडी श्रेणी-I बैंक अपनी विदेशी शाखा/ प्रतिनिधि को शिपिंग दस्तावेज भेजते हुए उन्हें यह अनुदेश दें कि वे विश्वास रसीद [ट्रस्ट रसीद] / निर्यात की राशि वसूल करने के लिए निर्धारित अवधि के भीतर एक विशिष्ट तारीख तक बिक्री की राशि सुपूर्द करने का वचनपत्र प्रस्तुत करने के

¹⁷ दिनांक 4 दिसंबर 2020 के एपी [डीआईआर] परिपत्र सं.08 द्वारा शामिल किया गया।

बाद ही वे दस्तावेज उन्हें सौंप दे। भले ही, कुछ विशिष्ट व्यवसायों की प्रचलित परंपराओं के अनुसार अनुमानित मूल्य के एक भाग का बिल इन निर्यातों पर अग्रिम में आहरित किया गया हो तब भी इस क्रियाविधि का पालन किया जाना चाहिए।

(ii) एजेंट / प्रेषिती सामान की बिक्री से प्राप्त राशि में से उस सामान की प्राप्ति, भंडारण और उनकी बिक्री के लिए किये जानेवाले व्यय, जैसे लैंडिंग प्रभार, गोदाम का किराया, हैंडलिंग प्रभारों को घटाएं और निवल राशि निर्यातक को विप्रेषित कर दें।

(iii) एडी श्रेणी- I बैंकों को एजेंट / प्रेषिती से प्राप्त बिक्री के खातों का सत्यापन करना चाहिए। बिक्री खाते की कटौतियां डाक / तार प्रभार, स्टाम्प ड्यूटी जैसे मामूली प्रभारों को छोड़ कर मूल रूप में बिल / रसीदों से समर्थित होनी चाहिए।

(iv) जब सामान कन्साईनमेंट आधार पर निर्यात किया गया हो तब सामान और मरीन बीमे की व्यवस्था भारत में की जानी चाहिए।

(v) एडी श्रेणी-I बैंक निर्यातकों को बिक्री करार समाप्त होने के समय बेची न गयी किताबों को छोड़ देने के लिए अनुमति प्रदान कर सकते हैं। तदनुसार, निर्यातक बेची न गयी पुस्तकों की कीमत को अपने बिक्री खातों में निर्यात से प्राप्त राशि में से कटौती के रूप में दर्शा सकता है।

सी.13 विदेशों में गोदाम खोलना / किराये पर लेना

एडी श्रेणी- I बैंक निर्यातकों से विदेशों में गोदाम खोलने / किराये पर लेने के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार करते हुए उन्हें निम्नलिखित शर्तों पर अनुमति प्रदान कर सकते हैं :

(i) आवेदक का निर्यात बकाया पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किये गये निर्यातों के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ii) आवेदक का पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान न्यूनतम निर्यात टर्न ओवर 100,000 अमरीकी डॉलर होना चाहिए।

(iii) निर्यात की राशि वसूलने की अवधि यथा लागू होनी चाहिए।

(iv) सभी लेनदेन एडी बैंकों की नामित शाखा के माध्यम से ही किये जाने चाहिए।

(v) निर्यातकों को प्रारंभ में उक्त अनुमति एक वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जानी चाहिए और यदि आवेदक ऊपर उल्लेख की गयी अपेक्षा का पालन करता है तो उसको नवीकृत करने के बारे में विचार किया जाना चाहिए।

(vi) इस प्रकार की अनुमति/अनुमोदन देनेवाले एडी श्रेणी-I बैंक इस प्रकार दिये गये अनुमोदनों का अभिलेख बनाये रखें।

सी. 14 निर्यात बिल रजिस्टर

एडी श्रेणी-I बैंक निर्यात आंकड़ें प्रक्रिया और निगरानी प्रणाली [ईडीपीएमएस] के साथ निर्यात बिल रजिस्टर प्रत्यक्ष अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में बनाये रखें। सभी प्रकार के निर्यात लेन देनों को वित्तीय वर्ष आधार पर [अप्रैल-मार्च] बिल संख्या दी जानी चाहिए और ईडीपीएमएस में उसकी रिपोर्ट की जानी चाहिए।

सी.15 अतिदेय बिलों पर अनुवर्ती कार्रवाई करना

(i) एडी श्रेणी- I बैंक बिलों की वसूली पर बारीकी से नज़र रखें और जहां बिल निर्यात की तारीख से भुगतान की नियत तारीख के बाद भी बकाया रहते हों वहां उस संबंधित निर्यातक से इस बारे में तत्काल पूछताछ करें। यदि निर्यातक निर्धारित अवधि के भीतर निर्यात की राशि की सुपूर्दगी की व्यवस्था करने में असफल रहता है अथवा निर्धारित अवधि के बाद समय विस्तार मांगता है तो उस मामले की रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को निर्यात की राशि वसूल होने में हो रहे विलंब का उल्लेख करते हुए रिपोर्ट की जानी चाहिए।

(ii) एडी श्रेणी- I बैंक आहरित न की गयी शेष राशियों को छोड़ कर निर्यात की पूरी राशि वसूल होने तक ईडीएफ / सॉफ्टेक्स फार्म की प्रतिलिपियाँ अपने पास रखें।

(iii) एडी श्रेणी-I बैंक निर्यातकों के साथ निर्यात की राशि वसूल करने के लिए उनके साथ योजनाबद्ध और तेज़ी से अनुवर्ती कार्रवाई करते रहें ताकि चूककर्ता निर्यातकों के विरुद्ध कार्रवाई करने में विलंब न होने पाये। एडी श्रेणी-I बैंक निर्यात राशि को वसूल करने में कोई शिथिलता दर्शाते हैं तो उसे रिज़र्व बैंक गंभीरता से लेगा और फेमा, 1999, के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा।

(iv) 18 दिनांक 01 मार्च 2014 को ईडीपीएमएस संचालित होने के बाद से दिनांक 28 फरवरी 2014 के बाद शिपिंग दस्तावेजों के लिए सभी निर्यात लेन देनों की वसूली की रिपोर्ट ईडीपीएमएस में की जानी चाहिए।

सी.16 मीयाद बिलों का समयपूर्व भुगतान करने के कारण इनवाईस मूल्य को घटाना

निर्यातक कभी-कभी विदेशी खरीदारों द्वारा मीयाद बिलों का समयपूर्व भुगतान किये जाने पर उन्हें कैश डिस्काउंट देने के लिए इनवाईस मूल्य को घटाने के लिए एडी श्रेणी-I बैंक से संपर्क कर सकते हैं। एडी श्रेणी-I बैंक मीयाद की उपयोग न की गयी अवधि के अनुपात में निर्यात ठेके में निर्धारित ब्याज की दर अथवा प्राईम दर के अनुसार/ जहां ब्याज की दर तय नहीं की गयी हो वहां इनवाईस की मुद्रा के लिबोर दर के हिसाब से ब्याज की राशि की सीमा तक नकदी डिस्काउंट दे सकते हैं।

सी.17 अन्य मामलों के इनवाईस में कटौती

(i) यदि किसी बिल को निगोशिएट किये जाने के बाद अथवा उसे संग्रहण के लिए भेजे जाने के बाद उसकी राशि में किसी कारण से कोई कटौती करनी पड़े और श्रेणी-I बैंक इसके लिए किये गये अनुरोध की वास्तविकता से संतुष्ट हों तो इस प्रकार की कटौती की अनुमति दे सकते हैं बशर्ते:

ए) ऐसी कटौती इनवाईस मूल्य के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होती है,

बी) वह न्यूनतम कीमत के निर्धारणों की शर्त पर वस्तुओं की निर्यात से संबंधित न हो,

सी) निर्यातक रिज़र्व बैंक की निर्यातकों की चेतावनी सूची पर न हो,

डी) निर्यातक को सूचित किया जाता है कि यदि उसे कोई निर्यात प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई हो तो वह उसे यथोचित अनुपात में अभ्यर्पित कर दें।

(ii) ऐसे निर्यातकों के मामले में जो तीन वर्षों से अधिक की अवधि से निर्यात कारोबार में हैं, उन्हें उपरोलिखित शर्तों पर तथा साथ ही, उनका पिछला रिकार्ड संतोषजनक होने पर इनवाईस के मूल्य में किसी उच्चतम प्रतिशत की सीमा के बिना कटौती की अनुमति दी जा सकती है, अर्थात् बकाया निर्यात की वसूली पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान औसत वार्षिक वसूली के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं हो।

(iii) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान निर्यात राशि की औसत वसूली से बकाया निर्यात बिलों के प्रतिशत की गणना करने के प्रयोजन से पलायन [एक्सटरनलाइजेशन] से ग्रस्त देशों को किये गये निर्यातों की राशि को हिसाब में नहीं लिया जाना चाहिए बशर्ते खरीदारों ने स्थानीय मुद्रा में भुगतान कर दिया हो ।

सी.18 खरीददार/प्रेषिती का परिवर्तन

सामान का लदान करने के बाद यदि मूल खरीददार द्वारा चूक करने पर उसे किसी दूसरे खरीदार को भेजा जाना हो तो रिज़र्व बैंक के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते यदि इस प्रकार के लेनदेन में सामान की कीमत कम करने की कोई आवश्यकता पैदा हुई हो तो वह इनवाईस मूल्य के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं हो और निर्यात राशि की वसूली में निर्यात की तारीख से नौ महीने से अधिक विलंब नहीं हो। जहां ऐसी स्थितियों में 25 प्रतिशत से अधिक की कटौती की गयी हो वहां, सी. 17 में निर्धारित सभी अन्य संबंधित शर्तों का भी पालन किया जाना चाहिए।

¹⁸ दिनांक 26 मई 2016 के एपी [डीआईआर] परिपत्र सं.74, जिसे दिनांक 15 जून 2016 से लागू किया जाना था, द्वारा जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया | इन्सर्ट किये जाने से पहले उसे इस प्रकार पढ़ा जाता था : दिनांक 01 मार्च 2014 को ईडीपीएमएस परिचालित होने के साथ दिनांक 28 फरवरी 2014 के बाद शिपिंग दस्तावेजों के लिए सभी निर्यात लेनदेनों की वसूली की ईडीपीएमएस में रिपोर्ट की जानी चाहिए और दिनांक 01 मार्च 2014 से पहले के पुराने बकाया शिपिंग बिलों की रिपोर्ट उस साईकिल के पूरे होने तक एक्सओएस में करना जारी रखना चाहिए ”

सी.19 विशेष निर्यात क्षेत्रों [एस ई जेड] द्वारा सामान का निर्यात

(i) एस ई जेड में स्थित यूनिटों को विदेशों में काम चालू करने की और उसी देश से निर्यात करने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमति दी गयी है:

ए) निर्यात मूल्य में प्रसंस्करण/ उत्पादन प्रभारों को यथोचित रूप से शामिल किया गया है और अंतिम खरीदार उनका वहन करता है।

बी) निर्यातक ने सामान्य ईडीएफ प्रक्रिया के अनुसार समस्त निर्यात मूल्य वसूल करने के लिए संतोषजनक व्यवस्था की है।

(ii) एडी श्रेणी- I बैंक डीटीए में स्थित यूनिटों को एसईजेड में स्थित यूनिटों द्वारा उन्हें आपूर्ति किये गये सामान का भुगतान करने के लिए विदेशी मुद्रा की खरीद करने की अनुमति दे सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी बैंकों को एसईजेड में स्थित यूनिटों द्वारा डीटीए में स्थित यूनिटों को दी गयी सेवाओं का भुगतान करने के लिए डी. टीए के यूनिटों को विदेशी मुद्रा बेचने की अनुमति प्रदान की गयी है। यह सुनिश्चित किया जाए कि एसईजेड में स्थित यूनिट को एसईजेड के विकास आयुक्त द्वारा [डी सी] जारी किये गये अनुमोदन पत्र में [एलओए] एसईजेड द्वारा डीटीए में स्थित यूनिट को आपूर्ति किये गये सामान / सेवाओं से संबंधित प्रावधान और विदेशी मुद्रा में उसके लिए किये गये भुगतान का उल्लेख किया गया है।

सी. 20 समय विस्तार

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक ने एडी श्रेणी- I बैंकों को निर्यात की राशि वसूल करने के लिए निर्यात की तारीख से जो अवधि निर्धारित की है उसके बाद छः माह तक समय बढ़ाकर देने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान की है, फिर उसका इनवाईस मूल्य कुछ भी क्यों न हो:

ए) इनवाईस में उल्लिखित निर्यात लेनदेनों की प्रवर्तन निदेशालय /केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा अन्य जांच एजेंसियों द्वारा जांच नहीं चल रही हो,

बी) एडी श्रेणी-I बैंक इस बात से संतुष्ट हो कि निर्यातक अपने नियंत्रण से बाहर की स्थितियों के कारण अपने निर्यात की राशि को वसूल नहीं कर पाया है,

सी) निर्यातक यह घोषणापत्र प्रस्तुत करता है कि वह निर्यात की राशि बढ़ायी गयी समय सीमा के भीतर वसूल कर लेगा,

डी) निर्यात की तारीख के एक वर्ष बाद समय बढ़ाकर देने की बात पर विचार करते समय निर्यातक का कुल बकाया एक मिलियन अमरीकी डॉलर से अथवा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान औसत निर्यात राशि के दस प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, से अधिक नहीं है।

¹⁹हटाया गया

²⁰ई) जिन मामलों में निर्यातक ने विदेश में खरीददार के विरुद्ध दावा दायर किया है, वहां कितनी भी राशि निहित / बकाया क्यों न हो, समय विस्तार प्रदान किया जाए।

(ii) उपर्युक्त अनुदेशों में जो मामले शामिल नहीं हैं, उनके लिए रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(iii) रिपोर्टिंग ईडीपीएमएस में की जाए।

¹⁹ दिनांक 26 मई 2016 के एपी [डीआईआर] परिपत्र 74 के जरिये दिनांक 15 जून 2016 से हटाया गया | उसे हटाये जाने से पहले उसे इस प्रकार पढा जाता था: “छः महीने से अधिक समय के लिए बकाया सभी निर्यात बिलों की रिपोर्ट एक्स ओएस विवरण में की जानी चाहिए | तथापि, जहां पर एडी श्रेणी – I बैंकों ने समय विस्तार प्रदान किया है, वहां जिस तारीख तक ऐसा समय विस्तार प्रदान किया गया है उस तारीख का “टिप्पणियाँ स्तम्भ” में उल्लेख किया जाए”

²⁰ दिनांक 26 मई 2016 के एपी [डीआईआर] परिपत्र 74 मौजूदा उप पैरा [एफ] को मौजूदा उप पैरा [ई] को हटाये जाने के बाद उप पैरा [ई] के रूप में पुनर्संख्या दी गयी है।

सी. 21 पारगमन [ट्रांजिट] में खोयी हुई शिपमेंट

- (i) जब भारत से किये गये शिपमेंट, जिसके लिए या तो साख पत्रों के अंतर्गत बिलों का बेचान [निगोशिएट] करते हुए अथवा अन्य किसी रूप में कोई भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है, पारगमन [ट्रांजिट] में खो जाता है, तो एडी श्रेणी-I बैंक को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जैसे ही हानि का पता चलता है वैसे ही बीमे के लिए दावा किया गया है।
- (ii) जहां बीमे का दावा विदेशों में देय है, वहां एडी श्रेणी-I बैंकों को खोयी हुई शिपमेंट पर देय बीमे की पूरी राशि उनके विदेशी कार्यालय / प्रतिनिधि के माध्यम से वसूल करने की व्यवस्था कर लेनी चाहिए और वह राशि प्राप्त होने के बाद ही ईडीएफ की प्रतिलिपि जारी करनी चाहिए।
- (iii) प्राप्त दावे की राशि के लिए एक प्रमाणपत्र उसकी प्रतिलिपि के पिछले पृष्ठ पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- (iv) एडी श्रेणी-I बैंक यह सुनिश्चित करें कि ट्रांजिट में खोये हुए शिपमेंट पर किये गये दावे जिन्हें शिपिंग कंपनियों / एयरलाईनों ने विदेशों में वाहक की देयता के अंतर्गत [कैरियर लाएबिलिटी अब्रॉड] अंशतः निपटाया है भी निर्यातको द्वारा भारत में प्रत्यावर्तित किये जाते हैं।

सी. 22 निर्यात संबंधी दावे

- (i) एडी श्रेणी-I बैंक आवेदन पर निर्यात दावों को विप्रेषित कर सकते हैं, बशर्ते निर्यात से संबंधित राशि पहले ही वसूल की जा चुकी है और भारत में उसका प्रत्यावर्तन किया जा चुका है और निर्यातक रिज़र्व बैंक की चेतावनी सूची में नहीं है।
- (ii) इस प्रकार के विप्रेषणों के मामलों में निर्यातक को सूचित किया जाए कि यदि उसे कोई निर्यात प्रोत्साहन राशि प्राप्त हुई हो तो वह उसे यथोचित अनुपात में अभ्यर्पित कर दें।

सी. 23 वसूल न किये गये निर्यात बिलों को बट्टे खाते डालना

सी 23.1 जो निर्यातक सभी कोशिशों के बावजूद बकाया निर्यात की देयताओं को वसूल नहीं कर पाया हो वह या तो स्वयं उसे बट्टे खाते डाल दे अथवा उस एडी श्रेणी-I बैंक से अपने दावे के समर्थन में यथोचित दस्तावेजों के साथ संपर्क करे जिसने संबंधित शिपिंग दस्तावेजों पर कार्रवाई की है। वसूल न की गयी निर्यात बिल की राशि बट्टे खाते डालने के लिए निर्धारित सीमाएं निम्नानुसार हैं :

विवरण	सीमा	निम्नलिखित के संबंध में सीमा (%)
निर्यातक द्वारा स्वयं "राइट-ऑफ" करना [प्रतिष्ठित (स्टेटस होल्डर) निर्यातकों को छोड़कर]	5%	जिस वर्ष "राइट ऑफ" किया जा रहा है, उसके पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष के दौरान वसूल की गयी निर्यात की कुल राशि।
प्रतिष्ठित निर्यातकों द्वारा स्वयं "राइट-ऑफ" करना	10%	
प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों द्वारा "राइट-ऑफ" करना	10%	

सी 23.2 स्वयं "राइट-ऑफ" करने तथा एडी बैंकों द्वारा "राइट-ऑफ" किए जाने संबंधी उपर्युक्त सीमाओं की गणना संचित रूप में की जाएगी एवं वह निम्नलिखित शर्तों के अधीन उपलब्ध होगी:

ए) संबंधित राशि एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए बकाया रही हो, तथा

बी) निर्यातक ने उस राशि को वसूल करने के लिए सारी कोशिशें कर ली है, इसके बारे में संतोषजनक दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत किये हो

सी) निर्यातक कम-से-कम 6 महीने की अवधि के लिए बैंक का ग्राहक है, केवाईसी/ एएमएल दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन करता हो तथा एडी बैंक संबंधित लेनदेन की वास्तविकता/ प्रामाणिकता से संतुष्ट हो;

डी) ये मामले नीचे उल्लिखित श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में आते हो :

- i) विदेशी खरीददार को दिवालिया घोषित किया गया हो और आधिकारिक परिसमापक [official liquidator] द्वारा यह दर्शाते हुए जारी किया गया एक प्रमाणपत्र कि निर्यात राशि की वसूली की कोई संभावना नहीं है, प्रस्तुत किया गया है।
- ii) वसूल न की गयी राशि भारतीय दूतावास, विदेशी चेंबर ऑफ कामर्स अथवा इसी प्रकार की किसी अन्य संस्था के माध्यम से निपटाये गये मामले में देय शेष राशि हो ;
- iii) पत्तन [पोर्ट]/ कस्टम्स/ स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा आयात करनेवाले देश में निर्यात किये गये सामान की नीलामी की गयी है अथवा उसे नष्ट कर दिया हो;
- iv) विदेशी खरीददार का उचित लंबे समय के लिए कुछ अता-पता नहीं चल रहा है।
- v) वसूल न की गयी राशि बकाया बन चुके और निर्यातक द्वारा सारी कोशिशें करने के बावजूद वसूल न करने योग्य बने रहे निर्यात बिलों की शेष अनाहरित राशि[इनवाईस मूल्य की 10 प्रतिशत से अनधिक] है।
- vi) कानूनी कारवाई करने की लागत निर्यात बिल की वसूल न की गई राशि के अनुपात में न हो अथवा जहां निर्यातक ने न्यायालय में विदेशी खरीददार के विरुद्ध दायर मामला जीत भी लिया हो किन्तु वह न्यायालय द्वारा जारी डिक्री को अपने नियंत्रण से बाहर के कतिपय कारणों से निष्पादित नहीं कर पाया हो;
- vii) साख-पत्र के मूल्य और निर्यात के वास्तविक मूल्य अथवा अनंतिम और वास्तविक माल दुलाई शुल्क के बीच के अंतर के लिए आहरित किये गये बिलों की राशि विदेशी खरीददार द्वारा बिलों को न भुनाये जाने के कारण वसूल नहीं की जा सकी हो और उसके वसूल किये जाने की कोई संभावना भी न हो।

सी 23.3 उपर्युक्त पैरा सी 23.1 तथा सी 23.2 में निहित बातों के होते हुए भी एडी श्रेणी-1 बैंक निर्यातक के अनुरोध पर उपर्युक्त सी 23.2 (डी) (i), (ii) तथा (iii) पर विनिर्दिष्ट किसी भी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले मामलों के संबंध में वसूल न किए गए निर्यात बिलों को बिना किसी सीमा के राइट-ऑफ कर सकते हैं, बशर्ते कि प्राधिकृत व्यापारी बैंक प्रस्तुत की गई दस्तावेजी साक्ष्य से संतुष्ट है।

सी 23.4 यदि मामला उपर्युक्त सी 23.2 (डी) (i), (ii) तथा (iii) पर विनिर्दिष्ट किसी भी श्रेणी के अंतर्गत आता हो, तो जहां पर माल अंततः पहुँचना है, उस देश के निवासी प्रेषिती को अथवा उसके एजेंट को निर्यातक द्वारा दस्तावेज सीधे ही भेजे जाने के मामले में एडी श्रेणी-1 बैंक उपर्युक्त पैरा सी 23.1 में दर्शाई गई विनिर्दिष्ट सीमाओं तक निर्यात बिलों की बकाया राशि को राइट-ऑफ करने की अनुमति दे सकते हैं।

सी 23.5 एडी बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि राइट-ऑफ करने की मांग करने वाले निर्यातक द्वारा संबंधितनिर्यात बिलों के लिए प्राप्त प्रोत्साहन राशि यदिकोई हो, को आनुपातिक आधार पर अभ्यर्पित किये जाने के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है।

सी 23.6 स्वयं द्वारा राइट-ऑफ किए जाने के मामले में निर्यातक संबंधित एडी बैंक को सनदी लेखाकारों द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करें, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि पिछले कैलेण्डर वर्ष के दौरान कितनी निर्यात की राशि वसूल की गई है और यदि वर्तमान कैलेण्डर वर्ष के दौरान पहले ही कोई राशि राइट-ऑफ की गई हो, तो वह कितनी है; और राइट-ऑफ करने के लिए किए गए अनुरोध से संबंधित ईडीएफ/ निर्यात बिल के ब्यौरे भी उस प्रमाणपत्र में दर्शाए गए हों। सनदी लेखाकारों द्वारा जारी किये गये प्रमाणपत्र में यह भी दर्शाया जाए कि निर्यातक ने यदि कोई निर्यात लाभ प्राप्त किये हैं, तो उसने उन्हें अभ्यर्पित किया है।

सी 23.7 तथापि, निर्यात राशि को बट्टे खाते डालने के लिए निम्नलिखित मामले पात्र नहीं होंगे :

ए) बाह्यीकरण [एक्सटरन्लाईजेशन] की समस्या से ग्रस्त देशों को किये गये निर्यात, जहां विदेशी खरीदार ने निर्यात का मूल्य स्थानीय मुद्रा में जमा किया है लेकिन उस देश के केन्द्रीय बैंकिंग प्राधिकरण ने उसे प्रत्यावर्तित करने के लिए अनुमति नहीं दी है;

बी) प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व आसूचना निदेशालय, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, आदि जैसी एजेंसियों द्वारा जांच किये जा रहे ईडीएफ/ सॉफ्टेक्स तथा ऐसे बकाया बिल जिनपर सिविल /आपराधिक मामले चल रहे हैं;

सी 23.8 एडी बैंक निर्यात बिलों को राइट-ऑफ करने संबंधी सूचना को निर्यात डेटा प्रसंस्करण एवं निगरानी प्रणाली (ईडीपीएमएस) में रिपोर्ट करेंगे।

सी 23.9 एडी बैंकों को एक ऐसी प्रणाली सुस्थापित करने के लिए सूचित किया जाता है कि जिसमें उनके आंतरिक निरीक्षक लेखा परीक्षक [प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा नियुक्त किये गये बाहरी लेखा परीक्षकों सहित] बट्टे खाते डाले गये बकाया निर्यात बिलों की आकस्मिक नमूना जांच/निरीक्षण अथवा प्रतिशत जांच करते हैं।

सी 23.10 उपर्युक्त अनुदेशों में शामिल न किये गये मामले/उपर्युक्त सीमाओं से बाहर के मामले भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के पास भेजे जाएं।

सी. 24 ईसीजीसी और बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) द्वारा विनियमित की जानेवाली निजी बीमा कंपनियों द्वारा किये गये दावों के भुगतान के मामले बट्टे खाते डालना

- (i) एडी श्रेणी- I बैंक ईसीजीसी और बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) द्वारा विनियमित की जानेवाली निजी बीमा कंपनियों से इस बात की पुष्टि करते हुए कि बकाया बिलों के संबंध में किये गये दावे का उन्होंने निपटान कर दिया है, निर्यातक से प्राप्त दस्तावेजी सबूतों के साथ समर्थित आवेदन पत्रों को ²²ईडीपीएमएस में संबंधित निर्यात बिलों को बट्टे खाते डाल दें।
- (ii) इस प्रकार बट्टे खाते डाले गये निर्यात बिलों की राशि को ऊपर दर्शायी गयी 10 प्रतिशत की सीमा तक प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा;
- (iii) ऐसे मामलों में अभ्यर्पित की गयी प्रोत्साहन की राशि, यदि कोई हो, विदेश व्यापार नीति में किये गये प्रावधान के अनुरूप होगी;
- (iv) ईसीजीसी और बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) द्वारा विनियमित की जानेवाली निजी बीमा कंपनियों द्वारा रुपयों में निपटाये गये दावों को विदेशी मुद्रा में वसूल की गयी राशि नहीं माना जाना चाहिए।

सी. 25 बट्टे खाते डालना – रियायत

वर्ष 2015-20 के लिए घोषित विदेश व्यापार नीति के अनुसार, उक्त विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत निर्यात को बढ़ावा देने की योजनाओं के अंतर्गत निर्यात राशि की वसूली के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन आग्रह नहीं किया जाना चाहिए:

ए) भारतीय रिज़र्व बैंक अथवा एडी श्रेणी-I बैंक द्वारा रिज़र्व बैंक की ओर से गुणवत्ता के आधार पर मामले को मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार बट्टे खाते डालने के लिए अनुमति दी जाएगी;

बी) निर्यातक, निर्यात राशि की खरीददार से वसूली न हो सकने के बारे में भारत के संबंधित विदेशी मिशन द्वारा जारी किया गया एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है; और

सी) यह स्वयं बट्टे खाते डालने के मामले में लागू नहीं होगा।

²³सी. 26 निर्यात से प्राप्त राशियों में से आयात की देनदारियों का भुगतान करना

एडी श्रेणी- I बैंक अपने निर्यातक/आयातक घटकों से निर्यात से प्राप्त राशियों में से आयात की देनदारियों का भुगतान करने की अनुमति के लिए प्राप्त निम्नलिखित अनुरोधों पर कार्रवाई कर सकते हैं :

i. एक ही समुद्रपारीय क्रेता/ विक्रेता से/ को अपने निर्यात से प्राप्त बकाया राशियों के आयात की बकाया देयताओं के समक्ष समंजन।

²² दिनांक 26 मई 2016 के एपी [डीआईआर] शृंखला के परिपत्र संख्या 74 द्वारा दिनांक 15 जून 2016 से जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया | जोड़े जाने से पहले उसे “ और उन्हें एक्सओएस विवरण से हटाया जाए” के रूप में पढ़ा जाता था |

²³ दिनांक 4 दिसंबर 2020 के एपी [डीआईआर] परिपत्र सं.08 द्वारा शामिल किया गया।

ii. उनके समुद्रपारीय समूह/ सम्बद्ध कंपनियों के साथ आंतरिक या बाहरी एजेंसी को सौंपी गई केंद्रीयकृत निपटान व्यवस्था के माध्यम से निवल आधार पर या सकल आधार पर इस प्रकार का समंजन।

उक्त समंजन निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

ए) इस व्यवस्था को केवल एक ही प्राधिकृत व्यापारी बैंक के माध्यम द्वारा संचालित/ पर्यवेक्षित किया जाएगा।

बी) एडी बैंक लेनदेन की वास्तविकता से संतुष्ट है और यह सुनिश्चित करता है कि केवाईसी/ एएमएल/ सीएफटी के संबंध में कोई मामला नहीं है;

सी) लेनदेनों के अंतर्गत इनवाईस की प्रवर्तन निदेशालय/ केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अथवा अन्य जांच एजेंसी/ एजन्सियों द्वारा जांच नहीं की जा रही है;

डी) माल/ सेवाओं का आयात/ निर्यात वर्तमान विदेश व्यापार नीति के अनुसार किया गया है;

ई) एशियाई समाशोधन संघ [एसीयू] के देशों के साथ किये गए आयात/ निर्यात लेनदेन इस व्यवस्था से बाहर रखे गए हैं;

एफ) माल के निर्यात से प्राप्य राशियों का सेवाओं के आयात संबंधी देयताओं के समक्ष समंजन करने तथा इसके विपरीत के लिए अनुमति नहीं होगी;

जी) एडी बैंक इस बात को सुनिश्चित करेगा कि समंजन की अनुमति देते समय आयात संबंधी देयताएं/ निर्यात से प्राप्य राशियाँ बकाया है। साथ ही समंजन करने की अनुमति केवल एक ही कैलेंडर वर्ष के दौरान होने वाले निर्यात तथा आयात चरणों के मामले में दी जाएगी;

एच) द्विपक्षीय निपटान के मामले में एक ही समुद्रपारीय क्रेता और आपूर्तिकर्ता के संबंध में समंजन होगा और वह भी सत्यापन योग्य करार/ आपसीसहमति द्वारा समर्थित होने की शर्त के अधीन होगा;

आई) समूह/ सम्बद्ध कंपनियों के भीतर निपटान के मामले में यह व्यवस्था एक लिखित, विधिक रूप से प्रवर्तनीय करार/ संविदा द्वारा समर्थित होनी चाहिए। एडी बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि करार की शर्तों का कड़ाई से पालन किया जाए;

जे) समंजन के परिणामस्वरूप इस प्रकार की व्यवस्था में शामिल किसी भी संस्था/ संस्थाओं द्वारा कर अपवंचन/ परिवर्जन नहीं किया जाएगा;

के) जहां कहीं पर भी लागू हो वहाँ संबंधित संस्थाओं द्वारा थर्ड पार्टी दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा;

एल) एडी बैंक लेनदेन के संबंध में सभी विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे;

एम) एडी बैंक यदि जरूरी समझें वहाँ लेखापरीक्षकों/ सनदी लेखाकारों का प्रमाणपत्र मांग सकते हैं;

एन) प्रत्येकनिर्यात तथा आयात लेनदेन को यथालागू एफ़ईटीईआरएस/ ईडीपीएमएस/ आईडीपीएमएस में अलग (सकल आधार पर) से रिपोर्ट किया जाएगा;

ओ) एडी बैंक उक्त लेनदेन का ईडीपीएमएस/ आईडीपीएमएस में "सेट-ऑफ संकेतक" का उपयोग करते हुए निपटान करेंगे तथा निपटान किए जाने वाले शिपिंग बिलों/ प्रवेश बिलों/ इन्वाइस के ब्यौरों का टिप्पणी स्तम्भ के अंतर्गत (शामिल संस्थाओं के ब्यौरों सहित) उल्लेख करेंगे।

सी. 27 आयात भुगतानों से प्राप्य निर्यातों सेको समायोजित [नेटिंग] करना - विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित यूनित [एसईजेड]

एडी श्रेणी-I बैंक आयात भुगतानों से निर्यातों से प्राप्य राशियों को समायोजित करने [नेटिंग] के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित यूनितों के [एसईजेड] निर्यातकों से प्राप्त अनुरोध पर निम्नलिखित शर्तों पर विचार कर सकते हैं:

- (i) आयात भुगतानों से निर्यातों से प्राप्य राशियों का समंजन [नेटिंग] एक ही भारतीय कंपनी तथा विदेशी खरीदार / आपूर्तिकर्ता [द्विपक्षीय नेटिंग] के बीच किया गया है और यह समंजन विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित यूनितों [एसईजेड] के तुलन पत्र की तारीख को किया जाए।
- (ii) सामान के निर्यात के सभी ब्योरे ईडीएफ [ओ] फार्म / डीटीआर फार्म में, जैसी भी स्थिति हो, दर्ज किये जाने चाहिये जब कि आयात किये गये सामान / सेवाओं के ब्योरे ए1 / ए2 फार्म में जैसी भी स्थिति हो दर्ज किये जाने चाहिये। नामित एडी श्रेणी-I बैंक संबंधित ईडीएफ को केवल तभी पूर्ण मान लेगा जब इस लेनदेन की समग्र राशि समायोजित / प्राप्त की गयी हो।
- (iii) खरीद और बिक्री, दोनों के ही लेनदेन एफईटीईआरएस में आर रिटर्न में अलग-अलग रिपोर्ट किये जाते हैं।
- (iv) एसीयू देशों के साथ किये गये निर्यात / आयात लेनदेनों को इस व्यवस्था से बाहर रखा जाए।
- (v) सभी संबंधित दस्तावेज एडी श्रेणी-I बैंक को प्रस्तुत किये जाते हैं जो इन लेनदेनों से संबंधित सभी विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं।

सी. 28 निर्यातकों की चेतावनी सूची

241) एडी बैंक तथा अन्वेषण एजन्सियों के पास निर्यातकों के ट्रैक रिकार्ड के आधार पर संबंधित एडी बैंक की सिफारिशों के आधार पर रिज़र्व बैंक द्वारा किसी निर्यातक को सतर्कता सूची में शामिल किया जाएगा।

निर्यातक के बारे में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी)/ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई)/ राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई)/ ऐसी किसी अन्य विधि प्रवर्तन एजेंसी को प्रतिकूल सूचना प्राप्त हुई हो तथा/ अथवा जहां निर्यातक का पता नहीं लग सके तथा/ अथवा वह निर्यात आय की वसूली के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं कर रहा हो वहाँ एडी बैंक इस संबंध में रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को सिफारिश करेंगे।

इसी प्रकार एडी बैंक किसी निर्यातक को सतर्कता सूची से हटाने के लिए भी निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय को सिफारिश करेंगे।

2) एडी श्रेणी-I बैंक चेतावनी जारी किये गये निर्यातकों के शिपिंग दस्तावेजों पर कार्रवाई करते समय निम्नलिखित क्रियाविधि अपनाएं:

24 दिनांक 9 अक्टूबर 2020 के एपी [डीआईआर] शृंखला के परिपत्र सं. 3 के जरिये से जोड़ा [इन्सर्ट किया] गया। इस प्रकार से इन्सर्ट किये जाने से पहले उसे इस प्रकार पढ़ा जाता था : "ईडीपीएमएस में निर्यातकों को अपने आप सतर्कता सूची में डाला जाता है / उस सूची से हटाया जाता है। सतर्कता सूची में डाले गये निर्यातकों की अद्यतन की गयी सूची दैनिक आधार पर ईडीपीएमएस में देखी जा सकती है। ईडीपीएमएस में सतर्कता सूची में डालने / उस सूची से हटाने के लिए निर्धारित मानदंड निम्नानुसार है: ए) यदि निर्यातकों का कोई शिपिंग बिल ईडीपीएमएस में दो वर्षों से अधिक समय के लिए खुला पाया जाता है, जिसके लिए एडी श्रेणी - I बैंक / रिज़र्व बैंक से समय विस्तार की कोई अनुमति नहीं दी गयी है, तो उस निर्यातक को चेतावनी सूची में डाला जाता है। निर्यात राशि की वसूली का समय मानने के लिए शिपमेंट की तारीख को हिसाब में लिया जाएगा। बी) एक बार संबंधित बिलों को वसूल किया जाए और उन्हें बंद किया जाए अथवा राशि को वसूल करने के लिए समय विस्तार प्रदान किया जाए तो वह निर्यातक अपने आप उस चेतावनी सूची से बाहर आ जाएगा। सी) निर्यातक को एडी बैंकों की सिफारिश पर दो वर्षों से पहले भी चेतावनी सूची में डाला जा सकता है। इस प्रकार की सिफारिशें ऐसे मामलों के आधार पर की जानी चाहिए जहां वह निर्यातक प्रवर्तन निदेशालय [ईडी] / केंद्रीय जांच ब्यूरो [सीबीआई] / राजस्व आसूचना निदेशालय [डीआरआई] अथवा कानून लागू करनेवाली इसी प्रकार की किसी संस्था की प्रतिकूल नज़र में चढ़ा हो। अथवा जहां निर्यातक का कोई अता पता ही न हो, अथवा वह निर्यात राशि को वसूलने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं कर रहा हो। ऐसे मामलों में एडी बैंक रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को अपने निष्कर्ष भेजते हुए उस निर्यातक को चेतावनी सूची में डालने की सिफारिश कर सकता है। डी) रिज़र्व बैंक ऐसे मामलों में एडी श्रेणी - I बैंक की सिफारिश पर उन निर्यातकों को चेतावनी सूची में डालेगा / सूची से हटा देगा।"

ए) वे निर्यातकों को उनके बकाया शिपिंग बिलों के ब्योरे देते हुए उन्हें चेतावनी सूची में डाले जाने के संबंध में सूचना देंगे। जब चेतावनी दिये गये निर्यातक निगोशिएशन / खरीद / डिस्काउंट / संग्रहण आदि के लिए शिपिंग दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे तब एडी श्रेणी - I बैंक निम्नलिखित शर्तों के अधीन उन दस्तावेजों को स्वीकार करेंगे :

- (i) संबंधित निर्यातक अग्रिम में भुगतान प्राप्त होने के बारे में सबूत अथवा उनके पक्ष में जारी अपरिवर्तनीय साख पत्र प्रस्तुत करें जिसमें प्रस्तावित निर्यातों की पूरी राशि को शामिल किया गया हो;
- (ii) मीयाद बिलों के मामले में संबंधित साख पत्र में निर्यात की पूरी राशि को दर्शाया जाना चाहिए और इस प्रकार के आहरण की अनुमति दी जानी चाहिए । इसके अलावा, वे मीयाद बिल शिपमेंट की तारीख से हिसाब में लिये जाने वाली निर्धारित वसूली अवधि के भीतर परिपक्व होने चाहिए।
- (iii) उपर्युक्त 2 [ए] [i] और [ii] में दी गयी शर्तों को छोड़कर चेतावनी सूची में डाले गये निर्यातकों के शिपिंग के अन्य दस्तावेजों पर एडी बैंक कोई कार्रवाई न करें ।

बी) एडी श्रेणी-I बैंक चेतावनी सूची में डाले गये निर्यातकों को बैंक गारंटियां जारी करने से पहले रिज़र्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त करें।

सी. 29 प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा गारंटियां जारी करना

- (1) प्राधिकृत व्यापारी भारत के किसी निवासी व्यक्ति द्वारा निर्यातक के रूप में भारत से निर्यात करने के लिए प्राप्त किये गये तथा भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति को देय ऋण, दायित्व अथवा अन्य देयता के लिए गारंटियां जारी कर सकते हैं।
- (2) प्राधिकृत व्यापारी भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा लिये गये ऋण, दायित्व अथवा अन्य किसी देयता के लिए निम्नलिखित मामलों में गारंटी दे सकते हैं:
 - (i) जहां किसी प्रामाणिक व्यापारी लेनदेन के लिए भारत में निवासी किसी व्यक्ति को देय ऐसा ऋण लिया गया हो अथवा ऐसा दायित्व अथवा देयता ली गयी हो :

बशर्ते इस खंड के अंतर्गत दी गयी गारंटी में किसी विदेशी निवासी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात बैंक द्वारा उसके लिए प्रति गारंटी दी गयी हो;

- (ii) जहां विदेशी खरीदारों को केवल निवासी बैंकों द्वारा देय गारंटियां ही स्वीकार्य हैं वहाँ उसकी शाखा अथवा भारत से बाहर उसके प्रतिनिधि द्वारा भारतीय निर्यातक की ओर से दी गयी गारंटी को कवर करने के लिए जारी की गयी प्रति गारंटी।

सी. 30 इलैक्ट्रॉनिक बैंक वसूली प्रमाणपत्र (eBRC) जारी करना

²⁵एडी श्रेणी -I बैंकों को “जब कभी वसूली हो गई के आधार पर” निर्यात से प्राप्त राशि के आंकड़ों को ईडीपीएमएस में अद्यतन करना है तथा 16 अक्टूबर 2017 से उनको केवल ईडीपीएमएस में उपलब्ध आंकड़ों से इलैक्ट्रॉनिक बैंक वसूली प्रमाणपत्र (eBRC) निकालना है ताकि वे ईडीपीएमएस तथा समेकित eBRC में आंकड़ों की सुसंगतता को सुनिश्चित कर सकें।

भाग डी – निर्यात से संबंधित विप्रेषण

डी. 1 निर्यात पर एजेंसी कमीशन

- (i) एडी श्रेणी-I बैंक आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पर या तो विप्रेषण के जरिये अथवा इनवाइस मूल्य में कटौती करते हुए कमीशन के भुगतान की अनुमति दे सकते हैं। एजेंसी कमीशन निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिया जा सकता है:

ए) कमीशन की राशि ईडीएफ/ सोफटेक्स फार्म पर घोषित की गयी हो और कस्टम्स प्राधिकारियों अथवा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार / ईपीजेड प्राधिकारियों, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा उसे स्वीकार किया गया हो। जहां कमीशन ईडीएफ / सोफटेक्स फार्म पर घोषित नहीं किया गया है, ऐसे मामले में निर्यात घोषणा पत्र पर कमीशन घोषित

²⁵ दिनांक 15 सितम्बर 2017 के एपी [डीआईआर] शृंखला के परिपत्र सं.4 के जरिये निविष्ट किया गया।

न करने के लिए निर्यातक द्वारा दिये गये कारणों से संतुष्ट होने के बाद उसके विप्रेषण की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते निर्यातक और / अथवा लाभार्थी के बीच कमीशन के भुगतान के लिए वैध करार / लिखित समझौता किया गया हो।

बी) संबंधित शिपमेंट पहले ही किया जा चुका है।

(ii) एडी श्रेणी-I बैंक अमरीकी डॉलर में नामित एस्करो खाते के माध्यम से प्रति व्यापार व्यवस्था [counter trade] के अंतर्गत शामिल निर्यातों के मामले में भारतीय निर्यातकों द्वारा कमीशन का भुगतान करने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमति दे सकते हैं:

ए) कमीशन का भुगतान उपर्युक्त पैरा (i) के [क] और [ख] में यथा निर्धारित शर्तों के अनुसार है।

बी) एस्करो खाता धारकों को स्वयं ही कमीशन देय नहीं है।

सी) इनवाइस मूल्य में से कटौती करते हुए कमीशन नहीं दिया जाना चाहिए।

(iii) चाय और तम्बाकू के निर्यात के इनवाइस मूल्य के 10 प्रतिशत तक कमीशन को छोड़ कर भारतीय सहभागियों द्वारा विदेशी संयुक्त उपक्रमों/पूर्णतः स्वामित्व वाली सहयोगी संस्थाओं की इक्विटी में भाग लेते हुए किये गये निर्यातों पर, तथा साथ ही, रुपया ऋण मार्ग से किये गये निर्यात पर कमीशन का भुगतान करने की अनुमति नहीं है।

26डी. 2 निर्यात से प्राप्त की राशि की वापसी

एडी श्रेणी-I बैंक, जिनके माध्यम से मूलतः निर्यात की राशि वसूल की गयी थी, भारत से निर्यात किये गये सामान को उसके खराब स्तर के चलते भारत में फिर से आयात करने के कारण उस राशि की वापसी करने के लिए प्राप्त अनुरोध पर विचार कर सकते हैं। इस प्रकार के लेनदेनों की अनुमति देते समय एडी श्रेणी-I बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे :

(i) निर्यातक के पिछले रिकार्ड की सावधानी से जांच कर लें।

(ii) लेनदेन की प्रामाणिकता का सत्यापन कर लें

(iii) डीजीएफटी / कस्टम्स प्राधिकारियों द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण पत्र निर्यातक से प्राप्त किया जाए कि निर्यातक ने संबंधित निर्यात पर कोई प्रोत्साहन राशि नहीं पायी है अथवा यदि उसे उक्त निर्यात के अनुपात में कोई प्रोत्साहन राशि मिली हो तो उसने उसे अभ्यर्पित कर दिया है

(iv) जहां आयातक देश के पोर्ट/ कस्टम्स/ स्वास्थ्य प्राधिकारियों/ किसी अन्य अधिकृत एजेंसी द्वारा निर्यात किए गए माल को नीलाम अथवा नष्ट किया गया है, वहाँ एडी बैंक संतोषजनक दस्तावेजी साक्ष्य की प्रस्तुति की शर्त के अधीन माल के पुनः आयात की अपेक्षा पर जोर नहीं देगा।

डी. 2.1 सभी अन्य मामलों में एडी बैंक इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि सामान्य आयात पर लागू सभी क्रियाविधियों का पालन किया गया है और निर्यातक से इस आशय का एक वचन-पत्र प्राप्त किया जाए कि निर्यात से प्राप्त आय की वापसी की तारीख से तीन महीनों के भीतर उस माल का दोबारा आयात किया जाएगा।

माल और सेवाओं के निर्यात पर मास्टर निदेशों में शामिल किये गये
परिपत्रों की सूची

क्र.सं.	परिपत्र सं.	विषय	दिनांक
1	फेमा अधिसूचना सं. फेमा 23(आर)/2015-आरबी दिनांक 12 जनवरी 2016	विदेशी मुद्रा विनियमन [माल और सेवाओं का निर्यात] विनियमावली, 2015	1 जनवरी 2016
2	ए.पी. [डीआईआर श्रृंखला] परिपत्र सं.28	विशेष आर्थिक क्षेत्रों में [एसईजेड] स्थित यूनिटों द्वारा भारत में विदेशी मुद्रा खाता खोलना और उसे बनाये रखना	3 अक्तूबर 2002
3	ए.पी. [डीआईआर श्रृंखला] परिपत्र सं.41	बिड बांड गारंटी के स्थान पर कॉर्पोरेट गारंटी जारी करना	8 नवम्बर 2002
4	ए.पी. [डीआईआर श्रृंखला] परिपत्र सं.91	माल और सेवाओं का निर्यात-विशेष आर्थिक क्षेत्रों में [एसईजेड] स्थित यूनिटों को सुविधाएं	1 अप्रैल 2003
5	ए.पी. [डीआईआर श्रृंखला] परिपत्र सं.100	माल और सेवाओं का निर्यात- विदेशों में स्थित गोदामों को निर्यात	2 मई 2003
6	ए.पी. [डीआईआर श्रृंखला] परिपत्र सं.77	विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 - आर रिटर्न के समेकन के लिए दिशानिर्देश	13 मार्च 2004
7	ए.पी. [डीआईआर श्रृंखला] परिपत्र सं.71	परियोजना निर्यात वित्त के आंकड़ें	8 जून 2007
8	ए.पी. [डीआईआर श्रृंखला] परिपत्र सं.30	आर- रिटर्न का बैंक वार समेकन	25 फरवरी 2008
9	ए.पी. [डीआईआर श्रृंखला] परिपत्र सं.43	एशियन समाशोधन यूनियन तंत्र के अंतर्गत निपटान की प्रणाली	26 दिसंबर 2008
10	ए.पी. [डीआईआर श्रृंखला] परिपत्र सं.84	आर रिटर्न का समेकन- एफईटीईआरएस के अंतर्गत रिपोर्टिंग	29 फरवरी 2012
11	ए.पी. [डीआईआर श्रृंखला] परिपत्र सं.46	विशेष आर्थिक क्षेत्र के यूनिटों द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्रों को माल और सेवाओं का निर्यात	23 अक्तूबर 2012
12	ए.पी. [डीआईआर श्रृंखला] परिपत्र सं.60	निर्यात बकाया विवरण - बैंक वार ऑन लाइन प्रस्तुतीकरण	01 अक्तूबर 2013
13	ए.पी. [डीआईआर श्रृंखला] परिपत्र सं.62	पुराने बकाया बिलों को समाप्त करना - निर्यात - अनुवर्ती कार्रवाई-एक्सओएस विवरण	14 अक्तूबर 2013
14	ए.पी. [डीआईआर श्रृंखला] परिपत्र सं.63	एशियन समाशोधन यूनियन [एसीयू] के माध्यम से लेनदेन करने के लिए ज्ञापन	18 अक्तूबर 2013
15	ए.पी. [डीआईआर श्रृंखला] परिपत्र सं.146	मुद्राओं का निर्यात और आयात : निवासियों और गैर-निवासियों को बढ़ायी गयी सुविधाएं	19 जून 2014
16	ए.पी. [डीआईआर श्रृंखला] परिपत्र सं.11	माल और सेवाओं का निर्यात - परियोजना निर्यात	22 जुलाई 2014
17	ए.पी. [डीआईआर श्रृंखला] परिपत्र सं.93	माल और सेवाओं का निर्यात - परियोजना निर्यात	1 अप्रैल 2015
18	ए.पी. [डीआईआर श्रृंखला] परिपत्र सं.21	एशियन समाशोधन यूनियन [एसीयू] के माध्यम से लेनदेन करने के लिए क्रियाविधियों का ज्ञापन	08 अक्तूबर 2015
19	ए.पी. [डीआईआर श्रृंखला] परिपत्र सं. [(1)/23(आर)]	विदेशी मुद्रा प्रबंधन [माल और सेवाओं का निर्यात] विनियमावली, 2015	12 मई 2016

20	ए.पी. [डीआईआर श्रृंखला] परिपत्र सं.74	निर्यात आंकड़े प्रक्रिया और निगरानी प्रणाली [ईडीपीएमएस] निर्यातकों को चेतावनी सूची में डालने के लिए अतिरिक्त मॉड्यूल, निर्यातों के लिए अग्रिम विप्रेषणों की रिपोर्ट करना और ओउराने एक्सओएस आंकड़ों का उसमें स्थानान्तरण करना	26 मई 2016
21	ए.पी. [डीआईआर श्रृंखला] परिपत्र सं.04	निर्यात आंकड़े प्रक्रिया और निगरानी प्रणाली [ईडीपीएमएस] - इलेक्ट्रॉनिक बैंक वसूली प्रमाणपत्र (eBRC) जारी करना	15 सितंबर 2017
22	ए.पी. [डीआईआर श्रृंखला] परिपत्र सं.10	सीमा शुल्क के विशेष अधिसूचित क्षेत्रों से न बिके कच्चे हीरों का 'निर्यात घोषणा फॉर्म' की औपचारिकता के बिना पुनर्निर्यात	22 नवंबर 2019
23	ए.पी. [डीआईआर श्रृंखला] परिपत्र सं.22	एशियन क्लियरिंग यूनियन (एसीयू) के अंतर्गत निपटान प्रणाली	17 मार्च 2020
24	ए.पी. [डीआईआर श्रृंखला] परिपत्र सं.27	माल तथा सेवाओं का निर्यात - निर्यात से प्राप्त आय की वसूली तथा प्रत्यावर्तन - छूट	01 अप्रैल 2020
25	ए.पी. [डीआईआर श्रृंखला] परिपत्र सं.03	“निर्यातकों को सतर्कता सूची में शामिल करने/ हटाने” के लिए निर्यात डाटा प्रसंस्करण एवं निगरानी प्रणाली (ईडीपीएमएस) मॉड्यूल - समीक्षा	9 अक्तूबर 2020
26	ए.पी. [डीआईआर श्रृंखला] परिपत्र सं. 08	बाह्य व्यापार - सुविधा सेवा - माल और सेवाओं का निर्यात	4 दिसंबर 2020